

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2023

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 679वीं बैठक दिनांक 14/09/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :-

1. श्री राघवेंद्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रुबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
7. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. **Case No 10445/2023 Shri Mahesh Sharma, Suprintending Engineer, M/s Indore Municipal Corporation, R/o 107, 109, First Floor Palika Plaza, District-Indore (MP)-452007, Prior Environment Clearance for Proposed construction of affordable housing project "Kshipra Parisar" under PMAY in an area of 3.788 ha. (53605.83 Sq.m.) (Khasra No. 16), Village-Buraniya, Tehsil-Hatod, District-Indore (MP)**

प्रकरण आज सेक की 679वीं बैठक दिनांक 14/09/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

2. **Case No 10343/2023 M/s Vijan Hotels Pvt. Ltd., Vijan Mahal Hotel Road, Tilheri, Tehsil and District Jabalpur (MP)-482002, Prior Environment Clearance for Expansion Hotel Project "Vijan Mahal" located at Khasra No. 107/1 (old), New No. 107/2, (Includes 107/26 & 107/27), 107/10, 107/16, 107/17, 107/19, 107/20, 107/21, 107/25, 107/29, 107/42, 107/43, 114/2 at Village - Tilheri, Tehsil & District Jabalpur (MP).**

This is case of Prior Environment Clearance for Expansion Hotel Project "Vijan Mahal" located at Khasra No. 107/1 (old), New No. 107/2, (Includes 107/26 & 107/27), 107/10,

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2023

107/16, 107/17, 107/19, 107/20, 107/21, 107/25, 107/29, 107/42, 107/43, 114/2 at Village - Tilheri, Tehsil & District Jabalpur (MP).

The salient features of the project:

SN	Information Required	Details
1.	Project	SIA/MP/INFRA2/437260/2023.
2.	Project Name	Case No 10343/2023 M/s Vijan Hotels Pvt. Ltd., Vijan Mahal Hotel Road, Tilheri, Tehsil and District Jabalpur (MP)-482002,
3.	Activity	Prior Environment Clearance for Expansion Hotel Project "Vijan Mahal" located at Khasra No. 107/1 (Old), New No. 107/2, (Includes 107/26 & 107/27), 107/10, 107/16, 107/17, 107/19, 107/20, 107/21, 107/25, 107/29, 107/42, 107/43, 114/2 at Village - Tilheri, Tehsil & District Jabalpur (M.P.). [437260] <u>Cat. 8(a)Building Construction Projects.</u>
4.	Area details	Built up Area details : Existing – 19,403.42 to 11,497.28 (Proposed) Sqmt., Total Built-up Area – 30,900.69 Sqmt.,
5.	Project Cost	6033.5 Lakh.
6.	CGWA Application Status	Application Number : 21-4/1867/MP/INF/2023
7.	Lat./Log.	23° 7'26.18"N 79°58'2.60"E 23° 7'26.44"N 79°58'4.08"E 23° 7'27.55"N 79°58'7.95"E 23° 7'26.84"N 79°58'8.37"E 23° 7'26.33"N 79°58'7.22"E 23° 7'25.80"N 79°58'7.44"E 23° 7'25.85"N 79°58'5.95"E 23° 7'25.51"N 79°58'5.53"E 23° 7'24.90"N 79°58'5.64"E 23° 7'24.27"N 79°58'5.95"E 23° 7'22.89"N 79°58'5.65"E 23° 7'23.11"N 79°58'3.88"E 23° 7'22.94"N 79°58'3.52"E 23° 7'23.20"N 79°58'1.94"E 23° 7'23.20"N 79°58'1.94"E 23° 7'25.26"N 79°58'2.31"E 23° 7'25.24"N 79°58'2.54"E
8.	T&CP Permission	Letter No. 1288 dated 07/04/2014.
9.	Fire NOC details	6100006135/FNOC/COL/2022/3302 date 19 June 2022.
10.	Water/Air Consent Validity	Outward No:-117746, 23/03/2023 Consent No:AWH-57904. Valid up to 30/06/2025.
11.	EMP/ Env. Con	M/s Vibrant Techno Lab Private Limited, Jaipur, (Rajasthan), Valid up to 09/04/2026.
12.	Sewerage disposal NOC	Not Submitted by PP .
13.	Parking details	Not Submitted by PP .

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 सितम्बर 2023

The case was presented by PP Shri Sandeep from M/s Vijan Hotels Pvt. Ltd. Jabalpur and their Env Consultant Dr. Nikita Shukla EIA Co-ordinator from M/s. Vibrant Techno Lab Private Limited, Jaipur, (Rajasthan), wherein following details were submitted:

Chronology of the project

S. NO.	DESCRIPTIONS/ DETAILS	DATE
1.	Online application has been submitted on Parivesh Portal in 8(a), B2 category.	19.07.2023
2.	Listed in Agenda for 679 th SEAC Meeting	24.08.2023
3.	Considered for SEAC, Madhya Pradesh Meeting	14.09.2023

Breif about the project:

- This is an existing project with the Built-up area 19,403.42 Sq.m., So Environmental Clearance (EC) is not required and is operating on the basis of valid Consent to Operate (CTO) issued by M.P. Pollution Control Board- Jabalpur.
- Now the project is going for expansion having Built up Area more than 20,000 Sq.m, i.e., 30900.70 Sq.m., hence EC is required.
- The total plot area of the Hotel project is 13,028.39 sq.m. and Gross Built Up Area (B.U.A) of the project after expansion will be 30,900.70 Sq.m. (>20,000 sq. m. and <1,50,000 sq.m.). Thus, the project falls in category B under Item 8 (a) {Building & Construction projects} of Schedule EIA Notification 2006 and subsequent amendments. Thus, The projects requires Environmental Clearance from the State Level Environmental Impact Assessment Authority, (SEIAA) Madhya Pradesh

Introduction of the Project:-

S. NO.	DESCRIPTIONS/ DETAILS	DOCUMENT NO.	DATE
1.	Consent issued by Madhya Pradesh Pollution Control Board, Regional Office Jabalpur	Outward No. 1969/RO/PCB/JBP/2013	24.07.2013

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 सितम्बर 2023

2.	Consent to Operate (CTO) by Madhya Pradesh Pollution Control Board, Regional Office Jabalpur	Consent No. AW-47256	10.08.2017 (valid till 30.06.2020)
3.	Authorization under Hazardous waste (Management Handling & Transboundary Movement) by Madhya Pradesh Pollution Control Board	Consent No. H-49978	05.12.2017 (valid till 22.11.2022)
4.	Consent to Operate renewal by issued by Madhya Pradesh Pollution Control Board	Consent No. AW-51760	30.06.2020 (valid till 30.06.2023)
5.	For Vijan Hotel development, Nagar Nigam Jabalpur Madhya Pradesh issued a letter as per Madhya Pradesh Bhumi Vikas Rule, 2012, rule (27).	Letter No. PMT/JAB/0427/1667/2022	29.08.2022
6.	Renewal of Consent and Authorization under Hazardous and other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016	Consent no. AWH-57904	23.03.2023 valid till 30.06.2025 and Authorization up to 22.11.2027) with condition to apply EC
7.	CGWA Application	Application Number : 21-4/1867/MP/INF/2023	Under process

Particulars	Existing	Proposed	Total
WATER REQUIREMENT			
Construction Phase (Expansion): Total Water Requirement	Already constructed	Domestic Use for labours: 4.5 KLD, which will be met existing bore wells and Construction purpose: 40-50 KLD, excessive treated from Existing Modular STP/ recycled water from nearby STPs.	
Operational Phase: Total Water Requirement	95 KLD	149 KLD	244 KLD
Fresh Water	60 KLD	115 KLD	175 KLD
Recycled Water	35 KLD	34 KLD	69 KLD
Capacity & Technology of STP	100 KLD MBBR	80 KLD	180 KLD MBBR

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2023

SOLID WASTE GENERATION			
Construction Phase:	Solid waste generation is approx. 10 kg/day of waste from labourers. About 574.86 MT (Approx.) of the construction waste will be generated.		
Operational Phase:	350 Kg/day	55 kg/day	405 Kg/day

After presentation committee observed following information is to be submitted / revised by PP.

1. Furnish details of CO₂ emission & quantification from different sources and their management plan w.r.t. carbon foot print .
2. PP's commitment that the BOD level shall be maintained upto 3.0 mg/l in the proposed STP, proposal for filter press.
3. Use of sewerage water provision for flushing and gardening.
4. Proposerd contribution of solar light shall be 30 % of total power consumption.
5. Provision of Roof top greening, roof top solar panel and electric charging points.
6. Calculate vehicles movement numbers which shall include Aganwadies, nursing homes, School etc.
7. For indoor air quality the ventilation provisions shall be made in few rooms as per National Building Code of India.
8. Green area is prosed as 24.95% with podium 53 % hece proposed revised plantation scheme & species of green area as suggested by the committee.
9. Revised the CER scheme as suggested by the committee

3. **Case No 10329/2023 Shri Sanjay Bhawsar, R/o Khanjanpur, District Betul (MP)-460001, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (19600 cum per year) (Khasra No. 19/2), Village-Kolgaon, Tehsil-Betul, District-Betul (MP)**

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 14/9/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री संजय भावसार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri SANJAY BHAWSAR, Lessee, R/o- Khanjanpur Betul, Tehsil & District- Betul, M.P.

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 सितम्बर 2023

खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/ निजी)	19/2 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.00 hectares
स्थल	Village Kolgaon, Tehsil Betul, District Betul (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के पत्र क्रमांक 551 दिनांक 24/4/17 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/ बी-2)	बी-2	
ब्लास्टिंग/ रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया बैतूल के पत्र क्रमांक 138 दिनांक 14/11/17 के द्वारा पत्थर-19,600 घनमीटर/वर्ष एवं मुरुम-5000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-19,600 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गा है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-19,600 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 578 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है और खदान के दक्षिण दिशा में पूर्व में 01 उत्खनिपट्टा स्वीकृत था, जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है । अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 578 दिनांक 27/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 578 दिनांक 27/03/23 अनुसार 494 मीटर की दूरी पर जलाशय स्थित है, शेष अन्य नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कोलगाँव जिला बैतूल के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 01/12/16 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान के अंदर पेड़ है । Tree Felling - No	
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान से 06 से 07 मी. पर एक रोड जा रहा है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह हॉलेज रोड है । उत्तर दिशा- प्राकृतिक नाला 66 मी. पश्चिम दिशा- जल निकाय क्षेत्र- 102 मी.	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-18 के सरल क्रमांक-11	

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2023

	पर दर्ज है ।
--	--------------

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि परिवेश पोर्टल पर जो गूगल इमेज अपलोड है उसके आक्षांश-देशांश का मिलान डीएसआर के आक्षांश-देशांश से नहीं होता, समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि जिला खनिज अधिकारी से आक्षांश-देशांश को प्रमाणित कराकर पुनः प्रस्तुत करे ।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस प्रकरण पर्यावरणीय स्वीकृति डिया से जारी हुई है एवं खनन का कार्य पूर्व में हुआ है डिया द्वारा अधिरोपित ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार फेंसिंग, वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. संबंधी शर्तों का पालन होना चाहिये था । अतएव समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि ई.सी. शर्तों के अनुसार फेंसिंग, वृक्षारोपण एवं स्थायी प्रकृति का समाजिक कार्य की प्रमाणिक प्रति एवं अन्य शर्तों का शत प्रतिशत पालन प्रतिवेदन एवं दस्तावेज, व्यय, फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत करें तब उनके प्रकरण पर विचार किया जायेगा ।

4. Case No 10252/2023 Shri Ramandeep Marwaha, Owner, 1925, Ramsingh Building, State Bank of India, Mastna Chouwk, Ranjhi, District-Jabalpur (MP)-482011, Prior Environment Clearance for Madai Boulder/Gitti (Quarry Lease) in an area of 1.44 ha. (23723 cum per year) (Khasra No. 114, 116P), Village-Marai, Tehsil-Kundam, District-Jabalpur (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 14/9/23 को परियोजना प्रस्तावक रमनदीप मरवाहा एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरुण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ इन्वायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri RAMANDEEP MARWAHA, Owner, 1925, Ramsingh Building, State Bank of India, Mastna Chouk, Ranjhi, District: Jabalpur (M.P.)

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 सितम्बर 2023

खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	114, 116 Part (निजी आदिवासी भूमि है, नॉन फॉरेस्ट लैंड है । उक्त भूमि के भू-स्वामी गोड़ /आदिवासी की है, जिसकी सहमति परियोजना प्रस्तावक को प्राप्त है किंतु सहमति पत्र में भू-स्वामी को आर्थिक/सामाजिक क्या लाभ परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिया जावेगा, का उल्लेख नहीं है, अतः पेसा एक्ट में आदिवासियों के लिए क्या प्रावधान के साथ परियोजना प्रस्तावक स्पष्ट करें कि आदिवासी भू-स्वामी को क्या आर्थिक / सामाजिक लाभ दिया जावेगा ।	1.44 Ha
स्थल	Village – Madai, Tehsil-Kundam, District- Jabalpur, (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के पत्र क्रमांक 284 दिनांक 26/05/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक ने परिवेश पोर्टल पर अपलोड पीएफआर एवं ईएमपी में अधिकतम उत्पादन 34,356 घनमीटर/वर्ष उल्लेखित है और ऑनलाईन गिट्टी/मुरुम-34,356 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-23,723 घनमीटर/वर्ष एवं मुरुम-9852 घनमीटर/वर्ष (02 वर्ष) है, जो पीएफआर, ईएमपी एवं ऑनलाईन आवेदित उत्पादन क्षमता में अंतर है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 376 दिनांक 09/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 376 दिनांक 09/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 376 दिनांक 09/06/23 अनुसार 400 मीटर की दूरी पर आबादी है, अन्य शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में ही है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मड़ई जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-15 दिनांक 14/04/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
गूगल इमेज अनुसार	खदान क्षेत्र 02 भागों में विभक्त है ।	

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2023

वर्तमान स्थिति	पूर्व दिशा— पक्का रोड 278 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर ने पत्र क्रमांक 771 दिनांक 09/06/23 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त उत्खनिपट्टा में संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण (उत्खनिपट्टा संचालन) हो जाने उपरांत नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उक्त उत्खनिपट्टा सम्मिलित कर ली जावेगी । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

चूँकि प्रस्तावित भूमि निजी आदिवासी की है, जिसकी सहमति परियोजना प्रस्तावक को प्राप्त है किंतु सहमति पत्र में भू-स्वामी को आर्थिक/सामाजिक क्या लाभ परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिया जावेगा, का उल्लेख नहीं है, अतः कलेक्टर या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से विधि सम्मत सहमति प्राप्त कर अनुबंध प्राप्त कर सीधे सिया को प्रस्तुत करेंगे, इस शर्त के साथ प्रकरण सिया को अनुशंसित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर—23,723 घनमीटर/वर्ष एवं मुरुम—9852 घनमीटर/वर्ष ।
2. कलेक्टर या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से विधि सम्मत सहमति प्राप्त कर अनुबंध प्राप्त कर सीधे सिया को प्रस्तुत करेंगे, इस शर्त के साथ प्रकरण सिया को अनुशंसित है।
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 07.21 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 1.44 लाख प्रति वर्ष ।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
मड़ई शासकीय प्राथमिक शाला में डेस्कटॉप की (प्रिंटर के साथ)व्यवस्था	50,000
ग्राम मड़ई के पास स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रभारी अधिकारी के सलाह के अनुसार सामग्री का वितरण	10,000

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2023

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1440 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	नीम, खमेर, सिरस (काला और सफ़ेद), जंगल जलेबी, आंवला, चिरोल, करंज, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	100
2	परिवहन मार्ग	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	200
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हरी, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	500
4	ग्राम पंचायत मंडई के सहयोग से ग्राम पंचायत के चिन्हित क्षेत्र में	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हरी, महुआ, कबीट, नींबू, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	300
5	ग्राम पंचायत मंडई के प्राथमिक शाला , आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में	कदम, नीम, खमेर, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	340
गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना ।			
कुल			1440

5. **Case No 10273/2023 Shri Narendra Singh Maan, Partner, M/s Trimurti Enterprises, 190, Ajaybag Colony, District-Indore (MP)-452001 Prior Environment Clearance for Pipalkhut Crusher Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (40000 cum per year) (Khasra No. 13/5), Village- Pipal Khut, Tehsil-Mhow, District-Indore (MP)**

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 14/9/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री नरेन्द्र सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार अंकुर शर्मा (ऑनलाईन). मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी	Shri Narendra Singh Maan, Partner, M/s TRIMURTI ENTERPRISES, 190, Ajaybag Colony, Indore (MP)

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 सितम्बर 2023

का नाम व पता	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	13/5 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड) 2.00 Ha.
स्थल	ग्राम Pipal Khut तसहील Mhow जिला Indore (म.प्र.)
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के पत्र क्रमांक 927 दिनांक 28/04/23 के द्वारा स्वीकृत ।
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2
ब्लारिस्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लारिस्टिंग प्रस्तावित है ।
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया इंदौर के पत्र क्रमांक 772 दिनांक 27/02/17 के द्वारा पत्थर-30,000 घनमीटर / वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-40,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-40,000 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 716 दिनांक 28/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 04.600 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 716 दिनांक 28/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 716 दिनांक 28/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/ स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत केशरबर्डी जिला इंदौर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-3 दिनांक 20/04/2010 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर शासकीय नियमों/प्रावधानों अनुसार खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-46 के सरल क्रमांक-69

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2023

	पर दर्ज है ।
--	--------------

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस प्रकरण पर्यावरणीय स्वीकृति डिया से जारी हुई है एवं खनन का कार्य पूर्व में हुआ है डिया द्वारा अधिरोपित ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार गारलैण्ड ड्रेन का उल्लेख था परन्तु जानकारी नहीं दी गई।

अतएव समिति ने प्रकरण के परीक्षण उपरांत परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि ई.सी. शर्तों के अनुसार फेंसिंग, वृक्षारोपण एवं स्थायी प्रकृति का समाजिक कार्य की प्रमाणिक प्रति एवं अन्य शर्तों का शत प्रतिशत पालन प्रतिवेदन एवं दस्तावेज, व्यय, जियो टेग फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत करें साथ ही यह भी निर्देश दिया कि डिया की पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के अनुसार एवं प्रस्तावित योजना के अनुसार न्यूनतम 25 प्रतिशत पौधे का क्रियान्वयन प्रस्तुत करेंगे, तब उनके प्रकरण पर विचार किया जायेगा ।

6. **Case No 10303/2023 Shri Chandrabhan Yadav, Partner, M/s Sadguru Sai Granite, R/o Satyadev Nagar, Gandhi Road, 301, Satyam Residency Apartment, Gird, R K Puri, District-Gwalior (MP)-474011, Case No 10303/2023 Shri Chandrabhan Yadav, Partner, M/s Sadguru Sai Granite, R/o Satyadev Nagar, Gandhi Road, 301, Satyam Residency Apartment, Gird, R K Puri, District-Gwalior (MP)-474011,**

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 14/09/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Chandrabhan Yadav, Partner, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इन्वायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोयडा, (उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Chandrabhan Yadav, Partner, M/s Sadguru Sai Granite, R/o Satyadev Nagar, Gandhi Road, 301, Satyam Residency Apartment, Gird, R K Puri, District-Gwalior (MP)-474011, E-mail-sadguru.env12@gmail.com, Mobile-9425116626. Prior Environment Clearance for Thanra Crusher Stone Quarry in an area of 1.84 ha. (20000 cum per year) (Khasra No. 2842/2), Village-Thanera, Tehsil-Karera, District-Shivpuri (MP) [434654]	
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं.-2842/2,	एरिया- 1.84 ha.,
परियोजना स्थल	ग्राम-धनेरा, तहसील - करेरा, जिला-शिवपुरी (म.प्र.)	
सैंधातिक सहमति	पत्र क्र0. 1658 दिनांक 19/12/2017.	
परियोजना की श्रेणी	बी-2.	

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 सितम्बर 2023

खनन् कार्य ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	पत्र क्र०. 616 दिनांक 27/03/2023 द्वारा स्टोन क्रशिंग क्षमता – 20000 घनमीटर/ वर्ष हेतु जारी की गई थी। परियोजना प्रस्तावक को प्रतिवर्ष 50 पेड लगाये जाने की शर्त अधिरोपित की गई थी।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर – 20,000 घन मी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर-20,000 घन मी./वर्ष हेतु स्वीकृत है।
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 758. दिनांक 06/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 4.370 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 758. दिनांक 06/07/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 758. दिनांक 06/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत थनरा जिला – शिवपुरी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 02 दिनांक 22/05/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - Additional tree to be planted -
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-16 के सरल क्रमांक – 24 पर दर्ज है

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस प्रकरण पर्यावरणीय स्वीकृति डिया से जारी हुई है एवं खनन् का कार्य पूर्व में हुआ है डिया द्वारा अधिरोपित ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार 50 पौधे प्रतिवर्ष लगाने थे, समिति ने पाया कि अभी तक लगभग 250 पौधे लग जाने थे, अतः 250 पौधे लगाकर इसका प्रमाणिक दस्तावेज प्रस्तुत करें, साथ ही फेंसिंग, वृक्षारोपण, गारलैण्ड ड्रेन एवं सी.ई.आर. संबंधी शर्तों का भी पालन होना चाहिए था। फार्म-1 में यह जानकारी निरंक है।

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2023

अतएव समिति ने प्रकरण के परीक्षण उपरांत परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि ई.सी. शर्तों के अनुसार फेंसिंग, वृक्षारोपण एवं स्थायी प्रकृति का समाजिक कार्य की प्रमाणिक प्रति एवं अन्य शर्तों का शत प्रतिशत पालन प्रतिवेदन एवं दस्तावेज, व्यय, जियो टेग फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत करें, साथ ही यह भी निर्देश दिया कि डिया की पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के अनुसार एवं प्रस्तावित योजना के अनुसार न्यूनतम 25 प्रतिशत पौधे का क्रियान्वयन प्रस्तुत करेंगे, तब उनके प्रकरण पर विचार किया जायेगा ।

7. Case No 10302/2023 Shri Chandrabhan Yadav, Partner, M/s Sadguru Sai Granite, R/o Satyadev Nagar, Gandhi Road, 301, Satyam Residency Apartment, Gird, R K Puri, District-Gwalior (MP)-474011, Prior Environment Clearance for Thanra Crusher Stone Quarry in an area of 2.53 ha. (30000 cum per year) (Khasra No. 2846), Village-Thanera, Tehsil-Karera, District-Shivpuri (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 14/09/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Chandrabhan Yadav, Partner, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोयडा, (उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Chandrabhan Yadav, Partner, M/s Sadguru Sai Granite, R/o Satyadev Nagar, Gandhi Road, 301, Satyam Residency Apartment, Gird, R K Puri, District-Gwalior (MP)-474011, E-mail-sadguru.env12@gmail.com, Mobile-9425116626. Prior Environment Clearance for Thanra Crusher Stone Quarry in an area of 2.53 ha. (30,000 cum per year) (Khasra No. 2846), Village-Thanera, Tehsil-Karera, District-Shivpuri (MP) [434659]	
परियोजना का खसरा नं./ लीज क्षेत्रफल (सरकारी/ निजी)	खसरा नं.-2846,	एरिया- 2.53 ha.,
परियोजना स्थल	ग्राम-धनेरा, तहसील - करेरा, जिला-शिवपुरी (म.प्र.)	
सैधातिक सहमति	पत्र क्र0. 1658 दिनांक 19/12/2017.	
परियोजना की श्रेणी	बी-2.	
खनन कार्य ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित माईन प्लान ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया द्वारा जारी ई. सी. का विवरण (यदि लागू हो)	पत्र क्र0. 615 दिनांक 27/03/2023 द्वारा स्टोन क्रशिंग क्षमता - 30,000 घनमीटर/ वर्ष हेतु जारी की गई थी। परियोजना प्रस्तावक को प्रतिवर्ष 50 पेड लगाये जाने की शर्त अधिरोपित की गई थी।	

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 सितम्बर 2023

उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर – 30,000 घन मी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-30,000 घन मी./वर्ष हेतु स्वीकृत है।
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 759 दिनांक 06/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 4.370 हे. होता है, अतः प्रकरण बी 2. श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 759. दिनांक 06/07/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 759 दिनांक 06/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत थनरा जिला – शिवपुरी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 01 दिनांक 22/05/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र खुदा हुआ है। Tree Felling - No Additional tree to be planted -
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	उत्तर पूर्व दिशा— कच्चा रोड 370 मी. दक्षिण दिशा— पक्का रोड 400 मी एवं दक्षिण पश्चिम दिशा में 448 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-16 के सरल क्रमांक – 25 पर दर्ज है।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस प्रकरण पर्यावरणीय स्वीकृति डिया से जारी हुई है एवं खनन का कार्य पूर्व में हुआ है डिया द्वारा अधिरोपित ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार 50 पौधे प्रतिवर्ष लगाने थे, समिति ने पाया कि अभी तक लगभग 250 पौधे लग जाने थे, अतः 250 पौधे लगाकर इसका प्रमाणिक दस्तावेज प्रस्तुत करें, साथ ही फेंसिंग, वृक्षारोपण, गारलैण्ड ड्रेन एवं सी.ई.आर. संबंधी शर्तों का भी पालन होना चाहिए था। फार्म-1 में यह जानकारी निरंक है।

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2023

अतएव समिति ने प्रकरण के परीक्षण उपरांत परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि ई.सी. शर्तों के अनुसार फेंसिंग, वृक्षारोपण एवं स्थायी प्रकृति का समाजिक कार्य की प्रमाणिक प्रति एवं अन्य शर्तों का शत प्रतिशत पालन प्रतिवेदन एवं दस्तावेज, व्यय, जियो टेग फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत करें, साथ ही यह भी निर्देश दिया कि डिया की पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के अनुसार एवं प्रस्तावित योजना के अनुसार न्यूनतम 25 प्रतिशत पौधे का क्रियान्वयन प्रस्तुत करेंगे, तब उनके प्रकरण पर विचार किया जायेगा ।

8. **Case No 10306/2023 Shri Varun Tiwari, Lessee, R/o Singrauli, Tehsil & District-Singrauli (MP)-486889 Prior Environment Clearance for Chattri Soil Quarry in an area of 1.76 ha. (3292 cum per year) (Khasra No. 1711, 1712, 1718), Village-Chatari, Tehsil-Chitrangi, District-Singrauli (MP)**

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 14/09/2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री वरुण तिवारी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री एस.आई तनवीर, मे0. अल्ट्रा टेक, थाणे (महाराष्ट्र) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना की रूपरेखा

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, का नाम व पता	Shri Varun Tiwari, Lessee, R/o Singrauli, Tehsil & District-Singrauli (MP)-486889, E-mail-tiwari-varun166@gmail.com, Mobile-7828590801. Prior Environment Clearance for Chattri Soil Quarry in an area of 1.76 ha. (3,292 cum per year) (Khasra No. 1711, 1712, 1718), Village-Chatari, Tehsil-Chitrangi, District-Singrauli (MP) [435010]
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.. 1711, 1712, 1718, एरिया - 1.76 ha. (निजी भूमि.).
परियोजना स्थल	ग्राम – चतारी तहसील, चितरंगी, सिंगरौली (म.प्र.).
परियोजना की श्रेणी	बी-2
सैधातिक सहमति	पत्र क्रमांक 1711 दिनांक 08/07/2016.
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वाईल-3,292 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार स्वाईल -3,292 घनमी./वर्ष हेतु स्वीकृत है।
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2383 दिनांक 30/06/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 3.20 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है ।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2383 दिनांक 30/06/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2023

परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2383 दिनांक 30/06/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अंतराज्यीय सीमा-4.90 कि.मी. की दूरी पर उ.प्र. की सीमा स्थित है। मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व ग्रामीण पक्का रास्ता/नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत चतरी जिला सिंगरौली के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 02 दिनांक 14/052016 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - Additional tree to be planted -
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	दक्षिण पूर्व दिशा— पक्का रोड 441 मी., रोडवेज 268 मी. पूर्व दिशा— नदी 77 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.— 34 के सरल क्रमांक-49 पर दर्ज है।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस प्रकरण पर्यावरणीय स्वीकृति डिया से दिनांक 08/10/2016 जारी हुई है एवं खनन का कार्य पूर्व में हुआ है डिया द्वारा अधिरोपित ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार फेंसिंग, वृक्षारोपण एवं स्थायी प्रकृति का समाजिक कार्य की प्रमाणिक प्रति एवं बिन्दु क्रमांक 11,13,15 और 16 का वर्तमान स्थिति पालन प्रतिवेदन की विशेष शर्तें सामान्य शर्तें 09,10 इनका पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें एवं प्रमाणित दस्तावेज, व्यय, जियो टेग फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत करें, साथ ही यह भी निर्देश दिया कि डिया की पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के अनुसार प्रस्तावित 2100 पौधों का न्यूनतम 25 प्रतिशत पौधे का क्रियान्वयन प्रस्तुत करेंगे तथा सामाजिक कार्य के अंतर्गत पालक शिक्षक संघ में कार्य का प्रमाणिक दस्तावेज जमा कर दिया जाये, तत्पश्चात उनके प्रकरण पर विचार किया जायेगा।

9. **Case No 10328/2023 Smt. Sangeeta Agrawal, R/o Near Bus Stand, Prithvipur, District Niwari (MP)-472336, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (50000 cum per year) (Khasra No. 1344/2), Village-Bhopalpura, Tehsil-Prithvipur, District-Niwari (MP)**

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2023

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 14/9/23 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती संगीता अग्रवाल (ऑनलाईन) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा. लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri SANGEETA AGRAWAL, Lessee, R/o Pirthvipur, Distt. Tikamgarh (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1344/2 (सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	4.00 hectare.
स्थल	VILLAGE Bhopalpura TEHSIL Prithvipur DISTRICT Niwari (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, म.प्र. के पत्र क्रमांक 17485-87 दिनांक 04/11/16 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक 153 दिनांक 25/08/17 के द्वारा 22,230 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-50,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-50,000 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाड़ी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 168 दिनांक 20/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाड़ी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 168 दिनांक 20/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाड़ी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 168 दिनांक 20/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/ नहर/ ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत भोपालपुरा जिला निवाड़ी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-17	

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2023

पंचायत की अनापत्ति	दिनांक 16/01/16 अनुसार पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - Additional tree to be planted -
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाड़ी ने पत्र क्रमांक 42 दिनांक 18/04/23 के द्वारा सूचित किया गया है कि उपरोक्त उत्खनिपट्टा में संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण (उत्खनिपट्टा संचालन) हो जाने के उपरांत नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उत्खनिपट्टा सम्मिलित कर लिया जावेग । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस प्रकरण पर्यावरणीय स्वीकृति डिया से जारी हुई है एवं खनन का कार्य पूर्व में हुआ है डिया द्वारा अधिरोपित ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण फेंसिंग, गारलैण्ड ड्रेन एवं सी.ई.आर. संबंधी शर्तों का भी पालन होना चाहिये था ।

अतएव समिति ने प्रकरण के परीक्षण उपरांत परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि ई.सी. शर्तों के अनुसार फेंसिंग, वृक्षारोपण एवं स्थायी प्रकृति का समाजिक कार्य की प्रमाणिक प्रति एवं अन्य शर्तों का शत प्रतिशत पालन प्रतिवेदन एवं दस्तावेज, व्यय, जियो टेग फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत करें, साथ ही यह भी निर्देश दिया कि डिया की पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के अनुसार एवं प्रस्तावित योजना के अनुसार न्यूनतम 25 प्रतिशत पौधे का क्रियान्वयन प्रस्तुत करेंगे, तब उनके प्रकरण पर विचार किया जायेगा ।

10. Case No 10254/2023 M/s Avni Kripa Developers, 62, Neer Nagar, Bicholi, Hapsi, District-Indore (MP)-451001, Prior Environment Clearance for Rajur Stone Quarry in an area of 3.60 ha. (40000 cum per year) (Stone – 20,000 cum per year and M-Sand – 20,000 cum per year) (Khasra No. 67), Village-Rajur, Tehsil-Khargone, District-Khargone (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 14/9/23 को परियोजना प्रस्तावक (ऑनलाईन) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरुण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ इन्वायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएड, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक,	AVNI KRIPA DEVELOPERS, 62, Neer Nagar Bicholi Hapsi Indore M.P

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 सितम्बर 2023

परियोजना / कम्पनी का नाम व पता		
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	67 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	3.6 ha.
स्थल	Village – Rajur, Tehsil & District – Khargone, (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के पत्र क्रमांक 156 दिनांक 03/07/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा गिट्टी/एम-सैंड-40,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार एम-सैंड-20,000 घनमीटर/वर्ष एवं गिट्टी-20,000 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 311 दिनांक 10/05/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 311 दिनांक 10/05/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 311 दिनांक 10/05/23 अनुसार 10 मीटर से अधिक दूरी पर ग्रामीण मार्ग स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रजुर जिला खरगोन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-4 दिनांक 28/01/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान का कुछ भाग खुदा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह पूर्व से खुदा है, तत्संबंध में विवरण सरफेस मेप में दर्शाया है ।	
	दक्षिण दिशा- पक्का रोड 90 मी, सरफेस मेप में सेटबैक प्रस्तावित	
	पूर्व दिशा- कच्चा रोड 10 मी, सरफेस मेप में सेटबैक प्रस्तावित	
	पश्चिम दिशा- कच्चा रोड 250 मी	

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2023

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोर ने पत्र क्रमांक 868 दिनांक 27/04/23 के द्वारा उक्त उत्खनिपट्टा में संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण (उत्खनिपट्टा संचालन) हो जाने उपरांत आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उक्त उत्खनिपट्टा सम्मिलित कर लिया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।
----------------------------------	--

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता एम-सेंड-20,000 घनमीटर/वर्ष एवं गिट्टी-20,000 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 06.54 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 2.41 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
रजूर शासकीय प्राथमिक शाला में डेस्कटॉप की (प्रिंटर के साथ) व्यवस्था	50,000
ग्राम रजूर के पास स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रभारी अधिकारी के सलाह के अनुसार सामग्री का वितरण	10,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3600 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्र.सं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	नीम, खमेर, सिरस (काला और सफ़ेद), जंगल जलेबी, आंवला, चिरोल, करंज, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	200

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 सितम्बर 2023

2	गैर खनन क्षेत्र	नीम, खमेर, सिरस (काला और सफ़ेद), जंगल जलेबी, आंवला, चिरोल, करंज, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	400
3	परिवहन मार्ग	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	400
4	ग्रामवासियो रजूर में वितरण हेतु	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्षा, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1000
5	ग्राम पंचायत रजूर के सहयोग से ग्राम पंचायत के चिन्हित क्षेत्र में	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्षा, महुआ, कबीट, नींबू, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1000
6	ग्राम पंचायत रजूर के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में	कदम, नीम, खमेर, सिस्सू. एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	600
गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना ।			
कुल			3600

11. Case No 9236/2022 Shri Anubhav Agrawal, Lease Owner, R/o- AT & Post Village- Jaitwara, District- Satna (M.P.). Prior Environment Clearance for Laterite Mine in an area of 6.761 ha. (32384 Tonne per annum) (Khasra No.839 (P)), Village - Karigohi, Tehsil - Majhgawan, Dist. Satna (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 14/9/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री अनुभव अग्रवाल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri Anubhav Agrawal, Lease Owner, R/o- AT & Post Village- Jaitwara, District- Satna (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	839P (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	6.761 hectare.
स्थल	Village- Karigohi, Tehsil- Majhgawan, District Satna (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय-भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-03-40/96/12/2, दिनांक 02/09/03 के द्वारा स्वीकृत। (पूरक	

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2023

	अनुबंध दिनांक 10/12/21 परियोजना प्रस्तावक के नाम से)
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-1
टॉर	समिति की पूर्व की 581वीं बैठक दिनांक 24/06/22 को उत्पादन क्षमता लेटराईट-32,384 टीपीए के लिए टॉर की अनुशंसा की गई थी ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।
नया/क्षमता विस्तार	यह प्रकरण पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के उल्लंघन का है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा लेटराईट-32,384 टीपीए हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार लेटराईट-32,384 टीपीए है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1135 दिनांक 02/06/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 सदृश खनिज एवं 02 अन्य मुख्य खनिज खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 15.822 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1135 दिनांक 02/06/22 अनुसार खदान से रानीपुर अभ्यारण्य (उ.प्र.) की सीमा 3.795 किलोमीटर की दूरी पर है, शेष अन्य नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1135 दिनांक 02/06/22 अनुसार 250 मीटर की दूरी पर 10-12 मकान बने हैं, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कारी गोही जिला सतना के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 30/06/16 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान क्षेत्र में 19 पेड़ लगे हैं। Tree Felling - No
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा— खदान के अंदर उत्तर दिशा से एक कच्चा रोड निकल रहा है। पूर्व दिशा— लगभग 15 से 20 मकान हैं।
जन सुनवाई	इस खदान की जनसुनवाई के दौरान खदान क्षेत्र में मकान होने के संबंध में, वृक्षारोपण, पानी का उपयोग वृक्षारोपण और परिवहन सड़कों पर छिड़काव में किया जाएगा इत्यादि सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि उसमे एमएमआर नियम, 1996 की रूल के हिसाब से नॉन-माइनिंग एरिया छोड़ा गया है लीज एरिया के अंदर बिजली के खम्भे को भी ,एमएमआर नियम, 1996 के तहत नॉन माइनिंग एरिया छोड़ दिया जायेगा एवं संबंधित बजट ई.एम.पी./सीईआर में समुचित बजट के साथ शामिल किया गया है।

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2023

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के पत्र दिनांक 30/06/23 अनुसार अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के सरल क्रमांक 169 में अंकित है, जिसमें टंकण त्रुटिवश खनिज बाक्साइड अंकित हो गया है, जिसे खनिट लेटेराइट पढ़ा जाये ।
----------------------------------	---

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि 12-14 घर लीज एरिया के अंदर बने हैं, वर्तमान में अतिक्रमण क्षेत्र पर स्टे लगा हुआ है, पटवारी रिपोर्ट में अतिक्रमण क्षेत्र को अवैध अतिक्रमण होना बताया गया है, इसके बावजूद परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया की जो अतिक्रमण क्षेत्र से 100 मी. की दूरी छोड़कर माइनिंग कार्य किया जायेगा। खदान के पूर्व दिशा में एक सीजनल नाला जो जा रहा है उस खदान का गंदा पानी नाले में न जाए इसके लिए खनिपट्टा की पूर्व दिशा में एक सेटलिंग टैंक बनाया जाएगा। लीज एरिया के अंदर बिजली के खम्भे को भी ,एमएमआर नियम, 1996 के तहत नॉन माइनिंग एरिया छोड़ दिया जायेगा। खदान के पूर्व दिशा में एक सीजनल नाला जो जा रहा है उस खदान का गंदा पानी नाले में न जाए इसके लिए खनिपट्टा की पूर्व दिशा में एक सेटलिंग टैंक बनाया जाएगा। मिट्टी के अपवाह और गाद को नाले में जाने से रोकने के लिए पानी को सेटलिंग टैंक में गारलैंड ड्रेन के माध्यम से प्रवाहित किया जायेगा ।

सेटलिंग टैंक में एकत्र किए गए पानी का उपयोग वृक्षारोपण और परिवहन सड़कों पर छिड़काव में किया जाएगा ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता लेटेराइट-32,384 टीपीए।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 27.46 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 05.53 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 2.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम कारिगोही में 1 नया हैंडपंप के साथ चारो तरफ चबूतरा बनवाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट की व्यवस्था की जाएगी	60,000/-
परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से चरागाह भूमि के विकास के लिए आर्थिक सहयोग किया जायेगा	40,000/-
ग्राम बाका के आस पास के आदिवासी क्षेत्र के अधोसंरचना विकास में विरसा मुंडा समिति में सहयोग किया जायेगा	1,00,000/-
कुल	2,00,000

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2023

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 8430 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	सिस्सू, पीपल, कस्टार, खमेर, चिरौल बबूल, और उपलब्ध देशी प्रजातियाँ।	1175
2	कारीगोही के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में	कदम्ब, अमलतास, अशोक, नीम, पुत्ररंजीवाए गुलमोहर, मोलश्री इत्यादि।	20
3	गाँव कारीगोही, सेलौरा, जखौरा, बाका देवरा बरूआ, तिगारा, पगारा, खुर्द और पगार कला के ग्रामवासीयों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरूद, मुनगा इत्यादि।	6775
4	अप्रोच रोड के दोनों ओर वृक्षारोपण हेतु	नीम, पीपल, सेमल, बरगद, चिरौल, पुत्ररंजीवा, मौलश्री, इत्यादि।	200
गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना।			
कुल			8170

12. Case No 10301/2023 Ms. Suman Rani, Village-Pawai, Tehsil-Pawai, District-Panna (MP)-488446, Prior Environment Clearance for Chaupra Flagstone Quarry in an area of 1.00 ha. (3360 cum per year) (Khasra No. 174, 169, 138, 139, 140, 170, 173), Village-Chaupra, Tehsil-Pawai, District-Panna (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 14/9/23 को परियोजना प्रस्तावक सुमन रानी, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Suman Rani, Proprietor, CHAUPRA FLAG STONE QUARRY, Village Pawai, Tehsil Pawai, Panna (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	174, 169, 138, 139, 140, 170, 173 (निजी भूमि -भू-स्वामियों की सहमति प्राप्त है)	1.00 ha.
स्थल	Village Chaupra, Tehsil Pawai, District -Panna (MP)	

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 सितम्बर 2023

लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला पन्ना के पत्र क्रमांक .1438 दिनांक 01/11/21 के द्वारा स्वीकृत ।
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लैग स्टोन-3360 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार फ्लैग स्टोन-3360 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला पन्ना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 945 दिनांक 27/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 02.08 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला पन्ना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 945 दिनांक 27/07/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र नहीं है और 250 मीटर में वन क्षेत्र के कारण संभागीय आयुक्त की समिति की बैठक दिनांक 17/08/21 अनुसार वन क्षेत्र से 52 मीटर की दूरी छोड़कर खदान स्वीकृति की अनुशंसा की गई है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला पन्ना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 945 दिनांक 27/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/ स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत इटांय जिला पन्ना के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-1 दिनांक 09/06/18 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र कुछ पेड है। Tree Felling - No
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-94 के सरल क्रमांक-11 पर दर्ज है ।

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2023

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता फ्लैग स्टोन-3360 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 8.08 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु.01.17लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.05 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम चौपरा में प्राथमिक शाला के मुख्य द्वार का निर्माण किया जायेगा और शाला की पुताई का कार्य किया जायेगा और शाला का बोर्ड बनवाया जायेगा	1,05,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में वृक्षारोपण	आम, अमरुद, जामुन, कटहल, मुनगा, सीताफल, एवं केतकी के बीज बोना, अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	300
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवल, अमरुद, मुनगा, पपीता, निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	750
3	परिवहन मार्ग के दोनों तरफ पेड़ों (मीटर 1 की न्यूनतम ऊँचाई)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	150
गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना।			
कुल			1200

- 13. Case No 9234/2022 Shri Anubhav Agrawal, Lease Owner, R/o- AT & Post Village-Jaitwara, District- Satna (M.P.). Prior Environment Clearance for Laterite Mine in an area of 7.025 ha. (26611 Tonne per annum) (Khasra No. 4/1 Ka), Village - Kathara Kothar, Tehsil - Majhgawan, Dist. Satna (MP)**

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2023

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 14/9/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री अनुभव अग्रवाल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri Anubhav Agrawal, Lease Owner, R/o- AT & Post Village- Jaitwara, District- Satna (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	4/1 Ka (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	7.025 hectare.
स्थल	Village- Kathara Kothar, Tehsil- Majhgawan, District- Satna (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय-भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-03-16/1999/12/2, दिनांक 02/09/03 के द्वारा स्वीकृत। (पूरक अनुबंध दिनांक 10/12/21 परियोजना प्रस्तावक के नाम से)	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।	
नया/क्षमता विस्तार	यह प्रकरण पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के उल्लंघन का है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा लेटराईट-26,611 टीपीए हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार लेटराईट-26,611 टीपीए है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1133 दिनांक 02/06/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 सदृश एवं 01 अन्य मुख्य खनिज खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 12.938 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1133 दिनांक 02/06/22 अनुसार खदान से रानीपुर अभ्यारण्य (उ.प्र.) की सीमा 4.05 किलोमीटर की दूरी पर है, शेष अन्य नहीं है।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1133 दिनांक 02/06/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।	
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सेलोरा जिला सतना के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-10 दिनांक 03/10/15 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।	

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2023

वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र 04 पेड है। Tree Felling - No
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र के अंदर से एक ग्रामीण पक्का रोड जा रहा है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा गैर खनन क्षेत्र प्रस्तावित किया है।
जन सुनवाई	इस खदान की जनसुनवाई के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि ग्रामीणों को रोजगार, वृक्षारोपण, पीने के पानी की व्यवस्था, खदान चालू होने से धूल डस्ट उत्पन्न होगी, परिवहन मार्ग पर जल का छिड़काव इत्यादि सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि इनको ई.एम.पी./सीईआर में समुचित बजट के साथ शामिल किया गया है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के पत्र दिनांक 30/06/23 अनुसार अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के सरल क्रमांक 179 में अंकित है, जिसमें टंकण त्रुटिवश 7.03 हेक्टेयर अंकित हो गया है, जिसे 7.05 पढ़ा जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता लेटेराईट-26,611 टीपीए
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 32.37 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 07.01 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 2.15 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम कठारा कोठार में 1 हैंडपंप के साथ चारों तरफ चबूतरा बनवाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट की व्यवस्था की जाएगी।	50,000/-
ग्राम कठारा कोठार के शासकीय प्राथमिक शाला में 1 सोलर लाइट, 1 कंप्यूटर एवं शीत ऋतु में बच्चों के लिए वस्त्र उपलब्ध करवाया जायेगा।	65,000/-
ग्राम बाका के आस पास के आदिवासी क्षेत्र के अधोसंरचना विकास में विरसा मुंडा समिति में सहयोग किया जायेगा	1,00,000/-
कुल	2,15,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 8430 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 सितम्बर 2023

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	सिस्सू, पीपल, कस्टार, खमेर, चिरौल बबूल, और उपलब्ध देशी प्रजातियाँ।	1,500
2	कठारा कोठार के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में	कदम्ब, अमलतास, अशोक, नीम, पुत्ररंजीवाए गुलमोहर, मोलश्री इत्यादि।	30
3	गाँव कारीगोही, सेलौरा, जखौरा, बाका देवरा बरूआ, तिगारा, पगारा, खुर्द और पगार कला के ग्रामवासीयों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरुद, मुनगा इत्यादि।	6700
4	अप्रोच रोड के दोनों ओर वृक्षारोपण हेतु	नीम, पीपल, सेमल, बरगद, चिरौल, पुत्ररंजीवा, मोलश्री, इत्यादि।	200
गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना।			
कुल			8430

14. Case No 10330/2023 M/s Shekhawati Mines and Minerals, Shri Khalid Mohammed, Proprietor R/o Village Abupura, tehsil alod, District Ratlam (MP)-457114, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (20000 cum per year) (Khasra No. 81), Village-Hatpipliya, Tehsil-Jaora, District-Ratlam (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 14/9/23 को परियोजना प्रस्तावक खालिद मुहम्मद एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri KHALID MOHAMMED, Proprietor of M/s Shekhawati Mines and Minerals, R/o- Village-Abupura, Tehsil- Alot, District-Ratlam, M.P.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	81 (सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.00 hectare.
स्थल	Village Hatpipliya, Tehsil Jaora, District Ratlam (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के पत्र क्रमांक 887 दिनांक 14/11/22 के द्वारा स्वीकृत।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2	

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2023

ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया रतलाम के पत्र क्रमांक 993 दिनांक 28/12/17 के द्वारा पत्थर-7600 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-20,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-20,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 225 दिनांक 30/01/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 225 दिनांक 30/01/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 225 दिनांक 30/01/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत हाटपिपल्या जिला रतलाम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-13 दिनांक 28/06/17 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान का कुछ भाग खुदा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पूर्व में इस खदान की ई.सी. डिया से प्राप्त हुई है। खदान के अंदर से कच्चा रोड जा रहा है। अतः सेटबैक प्रस्तावित करें। पूर्व दिशा- पक्का रोड 54 मी. अतः सेटबैक प्रस्तावित करें।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम ने पत्र क्रमांक 1066 दिनांक 01/06/23 के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त उत्खनिपट्टा में संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण उपरांत नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उक्त खदान सम्मिलित कर ली जावेगी। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2023

	29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।
--	--

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि प्रस्तुत प्रकरण प्रश्नाधीन खदान को पूर्व में डिया से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को खनन स्थानान्तरण की स्थिति में समिति का निम्नानुसार सुझाव है:-

इसी प्रकरण के संदर्भ में डिया द्वारा पूर्व में जो ई.सी 10 वर्ष के लिये अंतरक पट्टेदार श्रीपाल दसेडा को वर्ष 2017 से 2027 तक के लिये प्रदान की गई थी। अंतरक पट्टेदार द्वारा 06/09/2022 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उन्हें स्वीकृत पट्टे को शेष अवधि के लिये M/s Shekhawati Mines and Minerals, Shri Khalid Mohammed, Proprietor R/o Village Abupura, tehsil alod, District Ratlam के नाम से अंतरण किये जाने हेतु लिखित सहमति दी गई है। दी गई थी तथा तदोपरांत सिया द्वारा यह ई.सी M/s Shekhawati Mines and Minerals, Shri Khalid Mohammed, Proprietor R/o Village Abupura, tehsil alod, District Ratlam को प्रदान की गई थी । इससे यह प्रकाश में आया कि डिया द्वारा प्रदान की गई शर्तों का पालन किये बिना ही अन्य को ट्रांसफर कर दी गई तथा यह समिति इस बिन्दु पर प्रकाश डालना चाहती है कि ई.सी को ट्रांसफर करते समय यदि शर्तों का पालन नहीं हुआ है तो शर्तों का पालन करवाने के उपरांत ही ई.सी दी जाये या लंबित ई.सी के शर्तों के पालन की जिम्मेदारी के विषय में स्पष्ट किया जाये की शर्तों के अधिरोपण के संबंध में स्पष्ट निर्णय लिया जाना उचित होगा। उक्त प्रकरण ट्रांसफर का न होकर करके नये प्रकरण के रूप में समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ है। अतः पूर्व के ई.सी के शर्तों के पालन किस स्तर पर होगा इसका निर्णय लिया जाना उचित होगा।

ऐसी स्थितियां भी निर्मित हो सकती है कि डिया के प्रकरणों का पुनः परीक्षण से बचने के लिये लोग एक नये रास्ते का उपयोग कर सकते हैं। क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर, द्वारा अनुमोदित माईनिंग प्लान के पेज न. 11 पर डेप्थ 15 मी. तक प्रस्तावित है तथा पेज न. 13 एवं पेज न. 22 माईनिंग कार्य में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है। फेन्सिंग कार्य के छायाचित्र प्रस्तुत किये गये हैं, पी.पी द्वारा बताया गया कि 90 पौधों के लगभग रोपण हो चुका है। समिति ने पी.पी को निर्देश दिया कि प्रस्तावित 2400 पौधों में से 25 प्रतिशत पौधे लगाकर प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत करें। प्रकरण का परीक्षण किया गया प्रकरण की अनुशंसा इस शर्त के अनुसार की जाती है कि प्रस्तावित 25 प्रतिशत वृक्षा रोपण कर सेक को प्रस्तुत करे।

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 सितम्बर 2023

15. Case No 10304/2023 Shri ZIYA UDDIN KHAN, LEESSEE, VILLAGE BHORANSA, TEHSIL AND DISTRICT VIDISHA (M.P.) Prior Environment Clearance for Dhanora Crusher Stone Quarry in an area of 1.80 ha. (12000 cum per year) (Khasra No. 252, 341), Village-Dhanora, Tehsil-Bina, District-Sagar (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 14/9/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री जियाउद्दीन खान एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri ZIYA UDDIN KHAN, LEESSEE, VILLAGE BHORANSA, TEHSIL AND DISTRICT VIDISHA (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	252, 341 (निजी भूमि-भू-स्वामी की सहमति प्राप्त है)	1.80 Hectare
स्थल	Village Dhanora, Tehsil - Bina, District – Sagar (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक 4953 दिनांक 25/04/23 के द्वारा स्वीकृत।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर नया/क्षमता विस्तार	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है। नया प्रोजेक्ट।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-12,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-12,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 826 दिनांक 12/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 826 दिनांक 12/07/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 826 दिनांक 12/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा	

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 सितम्बर 2023

	संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/ स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत गौहर जिला सागर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 16/08/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र 02 पेड है, जिनमें से 01 पेड बेरियर जोन में है जो नहीं काटा जावेगा। Tree Felling - 01 Additional tree to be planted -10
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा- कच्चा रोड- 15 मी. अतः सेटबैक प्रस्तावित करें।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर ने पत्र क्रमांक 827 दिनांक 17/02/23 द्वारा सूचित किया है कि उक्त प्रकरण में संपूर्ण औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरांत उत्खनन पट्टा को आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।

समिति ने प्रकरण के परीक्षण उपरांत परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि निम्न जानकारी प्रस्तुत करें।

- कृषि भूमि के संबंध में पटवारी से फसल का 03 वर्ष की जानकारी लेना है।
- अधिकृत मृदा परीक्षण प्रयोगशाला से 03 फूट गहराई का मृदा परीक्षण प्रस्तुत करें। NPK एवं कार्बन की मात्रा का विश्लेषण प्रस्तुत करें।
- सी.ई.आर योजना के अंतर्गत भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर शिक्षक पालक संघ में जमा करने का परियोजना प्रस्तावक वचनपत्र प्रस्तुत करें।

16. Case No 10305/2023 Shri Vishnu Singhal, Partner, R/o Near Shrinath Brick Factory, Ajapura, District-Sheopur (MP)-476337, Prior Environment Clearance for Chaudpur Soil Quarry in an area of 1.00 ha. (2001 cum per year) (Khasra No. 132/2), Village-Chodpur, Tehsil-Sheopur, District-Sheopur (MP)

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2023

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 14/09/2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री विष्णु सिंहल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोयडा, (उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, का नाम व पता	Shri Vishnu Singhal, Partner, R/o Near Shrinath Brick Factory, Ajapura, District-Sheopur (MP)-476337, E-mail-arjunbrick.env12@gmail.com, M.obile-9425127800. Prior Environment Clearance for Chaudpur Soil Quarry in an area of 1.00 ha. (2,001 cum per year) (Khasra No. 132/2), Village-Chodpur, Tehsil-Sheopur, District-Sheopur (MP) [437521]
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.. -132/2, एरिया - 1.00 ha. (निजी भूमि). सहमति पत्र संलग्न।
परियोजना स्थल	ग्राम - चोथपुर तहसील- श्योरपुर, जिला- श्योरपुर (म.प्र.).
परियोजना की श्रेणी	बी-2
सैंधातिक सहमति	पत्र क्रमांक 4840 दिनांक 01/06/2023.
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वाईल-2,001 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार स्वाईल -2,001 घनमी./वर्ष हेतु स्वीकृत है।
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्योरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 6271 दिनांक 18/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 1.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्योरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 6271 दिनांक 18/07/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। 450 मी. की दूरी पर तालाब स्थित है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्योरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 6271 दिनांक 18/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व ग्रामीण पक्का रास्ता/नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत मठपुरा जिला श्योरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 06 दिनांक 27/01/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है।

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 सितम्बर 2023

प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	उत्तर दिशा— प्राकृतिक नाला 178 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	प्रस्तावित क्षेत्र से 500 मी. की परिधि में अन्य कोई खनिज रियायत स्वीकृत नहीं है। आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उक्त स्वीकृत उत्खनिपट्टा का नाम सूची में जोड़ा जाकर अद्यतन करवा लिया जायेगा। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।

समिति ने संवेदनशीलता के आधार पर प्रकरण के परीक्षण उपरांत परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि निम्न जानकारी प्रस्तुत करें।

- कृषि भूमि के संबंध में पटवारी से फसल का 03 वर्ष की जानकारी लेना है,
- तथा सी.ई.आर योजना के अंतर्गत भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर शिक्षक पालक संघ में जमा करने का परियोजना प्रस्तावक वचनपत्र प्रस्तुत करें।
- अधिकृत मृदा परीक्षण प्रयोगशाला से 03 फूट गहराई का मृदा परीक्षण प्रस्तुत करें। NPK एवं कार्बन की मात्रा का विश्लेषण प्रस्तुत करें।

17. Case No 10354/2023 Shri Prashant Mahajan, Partner, M/s Shri Vallabh Stone Crusher, R/o Village-Pipaljhopa, Tehsil-Kasrawad, District-Khargone (MP)-451228, Prior Environment Clearance for Pipaljhopa Stone (Gitti and M-Sand) Quarry in an area of 2.00 ha. (Stone-10000, M-Sand-15000 cum per year) (Khasra No. 129/2, 129/3, 129/4, 129/5, 129/6, 129/7, 129/8), Village-Pipaljhopa, Tehsil-Kasrawad, District-Khargone (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 14/9/23 को परियोजना प्रस्तावक प्रशांत महाजन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक,	Shri PRASHANT MAHAJAN, PARTNER, SHRI VALLABH STONE

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 सितम्बर 2023

परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	CRUSHER, VILLAGE PIPALJHOPA, TEHSIL KASRAWAD, DISTRICT KHARGONE (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	129/2, 129/3, 129/4, 129/5, 129/6, 129/7, 129/8 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.00 Hectare
स्थल	Village - Pipaljhopa, Tehsil - Kasrawad, District-Khargone (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगौन के पत्र क्रमांक 619 दिनांक 07/06/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-10,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम-सेंड-15,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-10,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम-सेंड-15,000 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगौन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 853 दिनांक 19/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 03.200 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगौन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 853 दिनांक 19/07/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगौन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 853 दिनांक 19/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मगरखेड़ी जिला खरगौन के अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 30/08/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र 02 पेड है, जिनमें से 01 पेड बेरियर जोन में है जो नहीं काटा जावेगा । Tree Felling - 01 Additional tree to be planted -10	
गूगल इमेज अनुसार	उत्तर दिशा— शेड— 50 मी. परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह खेती	

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 सितम्बर 2023

वर्तमान स्थिति	की मशीन रखने के लिये बनाया है। दक्षिण पश्चिमी दिशा— नहर 97 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के सरल क्रमांक—53 पर दर्ज है।

समिति ने प्रकरण के परीक्षण में पाया कि खदान क्षेत्र से दक्षिण पश्चिमी दिशा नहर 97 मी. पर है चूकी अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है अतः 200 मी. तक का क्षेत्र गैर खनन छोड़ने पर खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा पुनरीक्षित माईनिंग प्लान प्रस्तुत करेंगे।

उपरांत परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि निम्न जानकारी प्रस्तुत करें।

- पुनरीक्षित माईनिंग प्लान।
- कृषि भूमि के संबंध में पटवारी से फसल का 03 वर्ष की जानकारी लेना है,
- तथा सी.ई.आर योजना के अंतर्गत भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर शिक्षक पालक संघ में जमा करने का परियोजना प्रस्तावक वचनपत्र प्रस्तुत करें।

18. Case No 10355/2023 Shri Yogendra Gautam, Owner, R/o 45/4, New Palasia, Jetpura, District-Indore (MP)-451010, Prior Environment Clearance for Jetpura Murrum Quarry in an area of 2.00 ha. (15000 cum per year) (Khasra No. 160/1, 160/2), Village-Jetpura, Tehsil-Sawer, District-Indore (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 14/09/2023. को परियोजना प्रस्तावक **Shri Yogendra Gautam] Online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरुण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri YOGENDRA GAUTAM, Owner, 45/4 New Palacia District Indore (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	160/1 & 160/2 (सरकारी —नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.00 hectare.
स्थल	Village: Jetpura, Tehsil: Sawer & District: Indore (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के पत्र क्रमांक 694 दिनांक 24/03/22 के द्वारा स्वीकृत।	

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2023

श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया इंदौर के पत्र क्रमांक 01 दिनांक 28/10/16 के द्वारा मुरुम-15,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मुरुम-27,000 टीपीए हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार मुरुम-15,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 752 दिनांक 04/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं हैं, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 752 दिनांक 04/04/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 752 दिनांक 04/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बजरंग पालिया जिला इंदौर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-4 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - Additional tree to be planted -
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपलोड की गई जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सिया अनुमोदन की पुष्टि नहीं हो रही है, जिसके पेज नं.-27 के सरल क्रमांक-81 पर दर्ज है।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस प्रकरण पर्यावरणीय स्वीकृति डिया से दिनांक 28/10/16 के द्वारा मुरुम-15,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।

समिति ने प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया कि पत्र क्रमांक 694 दिनांक 24/03/2022 के माध्यम से लीज ट्रांसफर आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि अंतरिती को गौण खनिज नियमावली 1996, के समस्त नियमों एवं शर्तों का पालन करना होगा।

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2023

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि चूकी प्रकरण मुरम का है, अतः खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है एवं मैन्यूअल माईनिंग की जावेगी। समिति द्वारा संवेदनशीलता एवं अन्य बिन्दु के आधार पर प्रकरण का परीक्षण किया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की सशर्त अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता मरुम-15,000 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 4.00 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु.1.73 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
जैतपुरा शासकीय प्राथमिक शाला में डेस्कटॉप की (प्रिंटर के साथ) व्यवस्था	30,000
ग्राम जैतपुरा के पास स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रभारी अधिकारी के सलाह के अनुसार सामग्री का वितरण	10,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	नीम, खमेर, सिरस (काला और सफेद), जंगल जलेबी, आंवला, चिरोल, करंज, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	100
2	गैर खनन क्षेत्र	नीम, खमेर, सिरस (काला और सफेद), जंगल जलेबी, आंवला, चिरोल, करंज, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	300

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 सितम्बर 2023

	परिवहन मार्ग	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	100
	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्षा, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	500
	ग्राम पंचायत बजरंग पालिया के सहयोग से ग्राम पंचायत के चिन्हित क्षेत्र में	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्षा, महुआ, कबीट, नींबू, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	500
	ग्राम पंचायत बजरंग पालिया के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में	कदम, नीम, खमेर, सिस्सू, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	500
गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना ।			
कुल			2000

समिति की उपरोक्त अनुशंसा सिया की 805वीं बैठक दिनांक 06/09/23 की ए-नीतिगत निर्णय के अधीन रहेगी ।

19. Case No 10448/2023 Shri Mukesh Raikwar, Executive Engineer, O/o Department of Irrigation, 59, Narmada Bhavan, Arera Hills, District-Bhopal, (MP)- 462011, Prior Environment Clearance for Dobi Irrigation Project [under River Valley and Hydroelectric Projects] in an area of 8544 ha. at 24 Villages in Tehsil-Budni, Babai, District-Sehore & Hoshangabad (MP).

This is a Micro Lift Irrigation Project involving < 10,000 ha. of culturable command area falls under category "B" and have been mentioned at SN. 1(c) column B of Schedule of EIA Notification, hence such projects are required to obtain prior EC from the SEIAA.

This is case of Prior Environment Clearance for Dobi Micro Lift Irrigation Project in an area 8544 ha..(CCA) at 24 Villages in Tehsil-Budni, Babai, District-Sehore & Hoshangabad (MP (MP)).

The salient fetures of the projects are as giben below:-

SN	Information Required	Details
1.	Project	SIA/MP/RIV/436509/2023 Cat. - 1(c) River Valley

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 सितम्बर 2023

		<u>Project.</u>
2.	Project Name	Shri Mukesh Raikwar, Executive Engineer, O/o Department of Irrigation, 59, Narmada Bhavan, Arera Hills, District-Bhopal, (MP)- 462011, E-mail-eenvda23@mp.gov.in, Mobile-7879924469. Prior Environment Clearance for Dobi Irrigation Project [under River Valley and Hydroelectric Projects] in an area of 8544 ha. at 24 Villages in Tehsil-Budni, Babai, District-Sehore & Hoshangabad (MP) [436509].
3.	CCA	CCA - 8544 ha.
4.	Brief Summary Irrigation Project	Dobi Irrigation Project shall be situated in Tehsil Budni, District Sehore, Madhya Pradesh. The project is conceived to provide irrigation during Rabi crop only to 8544 ha falling in 24 villages.
5.	Project Cost	20155 Lakhs.
6.	Description of Project:	Dobi Irrigation Project shall be situated in Tehsil Budni, District Sehore, Madhya Pradesh. The project is conceived to provide irrigation during Rabi crop only to 8544 ha falling in 24 villages. The project, involving two stages lifting of 35m and 7.5m static head, shall encompass Pumphouse-1 proposed on right bank of Narmada River near village Jait for lifting water to DC-1 and Pumphouse-2 for further lifting to DC-2 to feed RBC of Barna Project. The length of rising main (1.36m diameter) from PH-1 to DC-1 shall be 2.27 km and rising main (1.22m diameter) from DC-1 to DC-2 shall be 9.42 km. The design discharge for irrigation shall be 4.12 cumecs. With 100% annual irrigation intensity the proposed irrigation during Rabi crop shall be 8544 ha (Wheat : 5981ha; Gram:2563ha).
7.	WILDLIFE CONSERVATION PLAN	Submitted by PP.
8.	DFO NOC	Letter No. 3293 dated 24/04/2023.(Ratapani Santury reported 12.300 km).
9.	PWD inter	Letter No. 878 dated 12/04/2023.(Maharastra State – 220 km).
10.	River	Narmada River near Village -Jait.
11.	DFO NOC letter details	Letter No. 3293 dated 24/04/2023 (Ratapani Sactury 12.300 km.).
12.	PWD distance letter	Letter No. 878 dated 12/04/2023 (Maharastra State distance - 220 Km.).
13.	EMP/ Env. Con	EQMS GLOBAL PVT LTD.(Formerly EQMS India Pvt. Ltd) Delhi, Valid up to 27/10/23.

The case was presented by the Mr. Yamesh Sharma , Env. Consultant from M/s. EQMS GLOBAL PVT LTD. (Formerly EQMS India Pvt. Ltd) Delhi, along with PP Shri Mukesh Raikwar, Executive Engineer, O/o Department of Irrigation, 59, Narmada Bhavan, Arera Hills, District-Bhopal, with the following details of the project:

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2023

PROJECT BRIEF

- The main objective of Dobi Irrigation Project is to provide micro- irrigation facilities to five villages under Jaitcommand and also 19 villages in command of RBC of Barna Project, which due to short supplies have been depriving farmers of bringing it under irrigation and better yield.
- It will provide Rabi irrigation facility to 8544 ha CCA in 24villages of Budni Tehsil of Sehore District. The proposed cropping pattern shall be Wheat:5981ha and Gram:2563ha.
- No dam/barrage is proposed. The project involves two stages lifting of 35m and 7.5m static head. It shall encompass Pumphouse-1 proposed on right bank of Narmada River near village Jait for lifting water to DC-1 and Jait command; Pumphouse-2 for further lifting to DC-2 to feed RBC of Barna Project.
- The length of rising main (1.36m diameter) from PH-1 to DC-1 shall be 2.27 km and rising main (1.22m diameter) from DC-1 to DC-2 shall be 9.42 km. The design discharge for irrigation shall be 4.12 cumecs. Total Power Requirement for lifting shall be 3.7MW.
- The project involves 3 ha of private land only. No forest land is involved.
- The cost of project is Rs.10635 lakh only and it shall be completed in two years.
- Benefit cost ratio is 2.42:1.

PROJECT DETAILS

Name of the Project	Dobi Irrigation Project
Type of the Project	Lift Irrigation.
Supply Source/Lifting Point	Narmada River near village Jait, Tehsil Budni, District Sehore
Latitude/Longitude	22° 51'36" N, 77° 54'55" E
District	Sehore
Village to be benefited	24 nos.
Delivery Point	1. Jait village (DC-1) 2. Chandla Kalan (DC-2)

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 सितम्बर 2023

Length of Rising main (km) for RBC Barna Project	From Pumphouse-1 to DC-1: 2.27km From DC-1 to DC-2: 9.42km
Length of Telescopic Pipe line for MLIS command (km)	1.44km
Cultural Command Area (ha) :	8544
Water Needed	4.12 cumec
Nearest Major Town	Budni, 35 km
Nearest Railway station	Budni, 35km
Nearest airport	Raja Bhoj Airport, Bhopal, 115 km
Nearest IMD station	IMD station – Bhopal (Bairagarh)
Seismic Zone	Zone-III (Moderate Damage Risk)
Any Religious/ Historical Place/ Archaeological monuments	No
Ecological sensitive area / Reserve Biosphere / Reserve Forest	Yes, patches of forest are observed in the study area

PP further submitted that total land requirement for project is 3 ha which shall be entirely private land of which 2ha has already been acquired by Madhya Pradesh Water Resources Department (MPWRD). No family shall be displaced. Ratapani Wild Life Sanctuary is 12.30 km away from the nearest project boundary.

It is proposed to bring command area under hybrid variety of wheat (5981 ha) and gram (2563 ha) during Rabi. The irrigation water requirement at field outlet has been assessed as 4.12 cumec which is proposed to be lifted from Narmada River. The power required to lift the same is about 3.7MW, which shall be arranged from MPMKVCL.

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 सितम्बर 2023

During presentation PP stated that none of the area is covered under the Panchayats Extension to Scheduled Areas (PESA) Act, 1996 (PESA) act. As the project is Category 'B2' as per EIA notification dated 14.8.2018, the Public Hearing was not warranted as per EIA notification dated 14.9.2006, all category' B2' projects and activities are exempted from public hearing.

After deliberations and the submissions and presentation made by the PP were found to be satisfactory and acceptable hence the case was recommended for grant of **Prior Environment Clearance for Dobi Irrigation Project in an area of 8,544ha. (CCA) at 24 villages in Budni, Tehsil, District Sehore(MP), with design discharge of 4.12 cumecs to be lifted in two stages from Pumphouse-I on right bank of Narmada River near Jaitvillage and Pumphouse II in Jait village.** Category: 1(c) River Valley and Hydroelectric Projects with following conditions:

- i. The project proponent shall prepare a Site-Specific Conservation Plan & Wildlife Management Plan and approved by the Chief Wildlife Warden. The recommendations of the approved Site-Specific Conservation Plan / Wildlife Management Plan shall be implemented in consultation with the State Forest Department. The implementation report shall be furnished along with the six-monthly compliance report. (In case of the presence of schedule-I species in the study area)
- ii. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State pollution Control Board/ Committee
- iii. If any public property (Burial Ground, Grave yard, Chabutra, Paramparik Narmada Parikrama Path) comes under the submergence, Restoration work/Alternate site will be provided by NVDA in consultation with local community or Gram Panchayat.
- iv. Compensation for land and property acquiring for the project will be done "as per the provisions mentioned in the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013.

I. Air quality monitoring and preservation

- i. Regular monitoring of various environmental parameters viz., Water Quality, Ambient Air Quality and Noise levels as per the CPCB guidelines at designated locations shall be carried out on monthly basis and a detailed database of the same shall be prepared and recorded. This shall be used as a baseline data for post construction EIA / Monitoring purposes.
- ii. Appropriate Air Pollution Control (APC) system shall be provided for all the dust

generating points including fugitive dust from all vulnerable sources, so as to comply prescribed standards.

- iii. Necessary control measures such as water sprinkling arrangements, etc. be taken up to arrest fugitive dust at all the construction sites.

II. Water quality monitoring and preservation

- i. Conjunctive use of surface water to be planned in the project to check water logging as well as to increase crops productivity. The field drains shall be connected with natural drainage system.
- ii. Remodeling of existing natural drains (link drains) and connecting them with irrigated land through constructed field drains, collector drains, etc. are to be ensured on priority basis.
- iii. Mixed irrigation shall be practiced and necessary awareness be given to all the farmers and trained in the use of such systems. Proper crops selection shall be carried out for making irrigation facility more effective.
- iv. On Farm Development (OFD) works like landscaping, land leveling, drainage facilities, field irrigation channels and farm roads, etc. should be taken up in phased manner prior to the start of irrigation in the entire command area. The Command Area Development Plan should be strictly implemented as proposed in the EIA/EMP report.

III. Noise monitoring and prevention

- i. All the equipment likely to generate high noise shall be appropriately enclosed or inbuilt noise enclosures be provided so as to meet the ambient noise standards as notified under the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000, as amended in 2010 under the Environment Protection Act (EPA), 1986.
- ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under E(P)A Rules, 1986 viz. 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.

IV. Waste management

- i. Muck disposal (76498 cum) be carried out only in the approved and earmarked sites. The dumping sites shall be located sufficiently away from the HFL of the river. Efforts be made to reuse the muck for construction and other filling purposes and balanced be disposed of at the designated disposal sites. Once the muck disposal sites are inactive, proper treatment measures like both engineering and biological measures be carried out so that sites are stabilized quickly.

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2023

- ii. Solid waste management should be planned in details. Land filling of plastic waste shall be avoided and instead be used for various purposes as envisaged in the EIA/EMP reports. Efforts be made to avoid one time use of plastics.

V. Green Belt, EMP Cost, Fisheries and Wildlife Management

- i. The Plantation Scheme for the project is given below: -

S.N.	Location	Species	No of Plants
1	Area around Pumphouse and DCs'	<i>Phyllanthus emblica</i> (Amla) <i>Mangifera indica</i> (Aam) <i>Carissa congesta</i> Wight (Karwand)	1500
2	Approach Road	<i>Psidium guajava</i> (Peru) <i>Manilkara zapota</i> (Chiku) <i>Citrus limon</i> (Limbu) <i>Syzygiumcumini</i> (Jamun) <i>Cassia fistula</i> (Amaltas) <i>Terminalia arjuna</i> (Arjun) <i>Azadirachta indica</i> (Neem) <i>Morus alba</i> (Sahtoot) <i>Dalbergia sissoo</i> (Shisham)	500
Total			2000

- ii. Wildlife Conservation Plan prepared for both core and buffer zones shall be implemented in consultation with the local State Forest Department.

VI. Human health issues

- Resettlement & Rehabilitation plan be implemented in consultation with the State Govt. as approved by the State Govt.
- Budget provisions made for the community and social development plan including community welfare schemes shall be implemented in toto.
- Preventive measures viz. fuming and spraying of mosquito control shall be done in and around the labour colonies, affected villages, stagnated pools, etc. Provisions be made to not to create any stagnated pools to avoid creation of breeding grounds of the vector borne diseases
- Provision shall be made for the housing of construction labour within the site

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2023

with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.

- v. Labour force to be engaged for construction works shall be examined thoroughly and adequately treated before issuing them work permit. Medical facilities shall be provided at the construction sites.
- vi. Early Warning Telemetric system shall be installed in the upper catchment area of the project for advance intimation of flood forecast.

VII. EMP and Corporate Environment Responsibility

- i. A total budgetary provision of Rs 191.10 lakh has been made for Environmental Management Plan which comprises of Rs127.30lakh as capital cost and Rs 63.80 lakh as recurring cost.
- ii. Under CER Rs 30lakh is envisaged for following various activities.

S. N.	Description	I-Year (Rs. Lakh)	II-Year (Rs. lakh)	Total (Rs. lakh)
1	Health checkup camps; awareness programme once in a year in 5 villages for 2 years (5 x 2 = 10)	2.50	2.50	5.00
2	Construction of market shed at village Dobi	5.00	0.00	5.00
3	Providing Solar Street Lighting (40-watt Solar Street Light) in villages viz., Chandla Kalan, Hoda, Morari, Rampura and Samnapur (5x3=15)	2.40	2.10	4.50
4	Horticulture Training including planting, aftercare and post-harvest management.	1.50	1.50	3.00
5	Training on modern/improved agriculture practices	1.50	1.50	3.00
6	Training on organic farming including production of vermi compost, biofertilizer etc.	1.50	1.50	3.00
7	Distribution of fruit bearing, fodder trees including katang bamboo.	2.50	2.50	5.00
8	Training on Parali Management and useful conversion through AMPRI, Bhopal	1.00	0.50	1.50
Total		17.90	12.10	30.00

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 सितम्बर 2023

- ii. Skill mapping be undertaken for the youths of the affected project area and based on the skill mapping, necessary trainings to the youths be provided for their long-time livelihood generation
- iii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / or shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six-monthly report.
- iv. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.
- v. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year-wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six-Monthly Compliance Report.
- vi. Post EIA and SIA be prepared for the project through a third party and evaluation report be submitted to the Ministry after five years of commissioning of the project.
- vii. Multi Disciplinary Committee (MDC) be constituted with experts from Ecology, Forestry, Wildlife, Sociology, Soil Conservation, Fisheries, NGO, etc. to oversee implementation of various environmental safeguards proposed in EIA/EMP report during construction of the project. The monitoring report of the Committee shall be uploaded in the website of the Company.
- viii. Formation of Water User Association/Co-operative be made by involvement of the whole community be ensured for discipline use of available water for irrigation purposes.

VIII. Miscellaneous

- i. The project proponent shall make public, the environmental clearance granted

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 सितम्बर 2023

for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.

- ii. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of local bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.
- iii. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.
- iv. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.
- v. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to the concerned State Pollution Control Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company
- vi. The project proponent shall inform the Regional Office as well as the Ministry, the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.
- vii. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the State Pollution Control Board and the State Government.
- viii. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the Expert Appraisal Committee.
- ix. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).
- x. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
- xi. The Ministry may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.
- xii. The Ministry reserves the right to stipulate additional conditions if found

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 सितम्बर 2023

necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions

- xiii. The Regional Office of this Ministry shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information/monitoring reports.
- xiv. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

20. Case No 10406/2023 Shri Ashok Kumar, Owner, Village-Bamora, Hotel Deepali, Jabalpur Road, District-Sagar (MP)-470004, Prior Environment Clearance for Bikor Kalan Crusher Stone Quarry in an area of 3.00 ha. (9756 cum per year) (Khasra No. 385/1), Village-Bikor Kalan, Tehsil-Malthon, District-Sagar (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 14/9/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री अशोक कुमार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri ASHOK KUMAR, OWNER, Village Bamora, Hotel Deepali, Jabalpur Road Sagar, District Sagar (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	385/1 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	3.00 hectare
स्थल	Village Bikor Kalan, Tehsil Malthone, District Sagar (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के पत्र क्रमांक 487 दिनांक 08/03/22 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना के पेज नं.-15 अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2023

उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-9,756 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-9,756 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1329 दिनांक 13/09/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 10.10 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1329 दिनांक 13/09/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1329 दिनांक 13/09/22 अनुसार आवेदित क्षेत्र से 400 मीटर की दूरी पर मानव बसाहट, 450 मीटर की दूरी पर शैक्षणिक संस्थान (मा. स्कूल बीकोरकलां, 100 मीटर पर चिकित्सालय के लिए भूमि आरक्षित, 450 मीटर पर एमआरडी-31-15 मार्ग एवं 200 मीटर की दूरी जामने नदी पर स्थित है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बीकोरकलां जिला सागर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-9 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्तावक पारित।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - Additional tree to be planted -
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपलोड जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान का विवरण दर्ज नहीं है, चूंकि प्रकरण बी-1 श्रेणी का है, अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. प्रश्नाधीन खदान में यदि कोई पेड़ हो तो उनकी ट्री इनवेन्टरी, अर्थात् उसकी प्रजाति, ऊंचाई एवं गirth फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
2. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों की ड्रोन विडियोग्राफी (प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
3. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाइल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2023

4. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
5. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉपट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. चूँकि आंशिक स्थल पहाड़ पर स्थित है, अतः खनिज परिवहन मार्ग तथा सरफेस रनऑफ मैनेजमेंट प्लान ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें ।
7. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लान, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
8. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रैजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।

21. Case No 10441/2023 Shri Sonal Kuldeep Kavadi, Director, M/s Aperam Alloys India Private Limited, Plot No. A 5-6, SEZ Phase-II, Sec-MISC Zone, Pithampur, District-Dhar (MP)-454774, Prior Environment Clearance for manufacturing of Clad Bonded Products and Mono Metal an area of 2.3499 ha. (3000 MTPA) (Khasra No. 439/3), Village-Bardari, Tehsil-Dhar, District-Dhar (MP). Category-3(a).

This is case of Prior Environment Clearance for manufacturing of Clad Bonded Products and Mono Metal an area of 2.3499 ha. (3000 MTPA) (Khasra No. 439/3), Village-Bardari, Tehsil-Dhar, District-Dhar (MP). Category-3(a).

The case was presented by Env. Consultant Shri Kuldeep Kavadi (on-line) from M/s Creative Enviro Services, Bhopal & PP Shri Shrikant Vyawhare from M/S APERAM ALLOYS INDIA PVT LIMITED , wherein PP submitted that Proposed project is planned to manufacture Clad Bonded Products & Mono Metals with capacity of 3000 MT/Annum It is an electronic component used in high end electrical gadgets.

PP submitted following submission following salient features of the project:

Particulars	Details
Name of products	Clad Bonded Products & Mono Metals
Proposed Capacity	3000 TPA
Project Cost	170 CR
Total Power requirement	1800KW
Total Land available	23499.10 SQMT.
Raw material required	Metal Clad, , Nickle Alloys, Stainless and Steel

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 सितम्बर 2023

	Alloys, Base metal (Steel, Copper, Aluminum) Wood, VCI, Stretch Film, Strip (Metal & Plastic, Clip, tap) Spool Metal Sleeve/ Cardboard Sleeve Rolling Oil Interleaving Paper
Source of Power	MPIDC
Water Requirement	50KL
Source of Raw water	MPIDC
Major Equipments and machineries	CRM, Annealing, Slitting, Tension Leveling.
Number, Capacity and Height of Stack of DG set and others	2 NOS (910KVA & 750 KVA) , 30M Stack
Pollution control equipment with name, capacity	Stack 15mt Height & 60 CM DIA with Fine Net Filter
Cost of Pollution Control Equipments	Approx 50 Lakh
Number of employment generation	110
Fuel proposed to be used	Fuel is not required
Capital cost of Environment Management Plan	Approx 30 Lakh
Recurring cost of Environment Management Plan	Approx 10 Lakh Per Annum
Fund for CER activities	Approx 5 Lakh
Proposed green belt area	4094 SQMT.

ENVIRONMENTAL SETTING

Sr. No.	Particular	Details
1	Plant Location	Aperam alloys Pvt Ltd Plot Number A-5 & 6 SEZ-II Pithampur Industrial Area Dist. Dhar (M.P.)
	Nearest town	Pithampur (5 km, ENE)
	Tehsil	Pithampur
	District	Dhar
	State	Madhya Pradesh
2	Coordinates	Latitude: 22°37'41.3"N Longitude: 75°38'29.9"E
3	Elevation	Highest Observed: 551m Lowest Observed: 548m
4	Location covered in Toposheet No.	46 N/10
5	Nearest representative IMD station	Indore, 25 km (ENE) away from project site

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 सितम्बर 2023

6	Nearest highway	NH-59 (5.5 km) NE
7	Nearest roadway	Pithampur Ghatabilod Road ~1.0 Km, S
8	Nearest railway station	Mhow Railway Station ~15 Km, ESE Indore Railway Station ~30 Km, ENE
9	Nearest airport	Devi Ahilyabai Holkar (Indore) Airport ~25 Km, ENE
10	District Headquarters	Dhar, 35 Km. W
11	Nearest State/National boundaries	Maharashtra (130 km, SSW)
12	Seismic Zone	Seismic zone III as per IS-1893 (part-I)-2002
13	Nearest major city with 2,00,000 population	Indore 40 km.
14	Nearest city	Mhow in 18 km.
15	Hills/valleys	None
16	Nearest tourist place	Nil
17	Archaeologically important places	None
18	Protected areas as per Wildlife Protection Act, 1972 (Tiger reserve, Elephant reserve, Biospheres, National parks, Wildlife sanctuaries, community reserves and conservation reserves)	None
19	Nearest Reserved/Protected forests	Betma Reserve Forest ~1.5 km E, Open Mixed Forest ~7.6 km SE, Bhanwargarh Protected forest ~5.46 km NE
20	Water Body	Angrer River ~2.16 Km S from project site
21	Defence Installations	None
22	Nearest Industries/ List of Industries	The project itself under a Notified Special Economic Zone Phase II. Cipla Limited, Lupin Limited (1.5km), Cummins Turbo technologies (1.7 km),
23	Notified ECO- Seismicity	None in 10km radius

Land Use Breakup & Raw Material Requirement of the Project:-

Particular	Area in Sq Mt	Area in Sq Mt
	Existing	Proposed
Built up Area	2261	3017
Raw Material Storage	876	735

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 सितम्बर 2023

Internal road	2831	2140
Green Belt	2362	4605
Open Land	3561.59	1304.59
Total area	11891.59	

The Committee after deliberations recommended to issue standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's as annexed as annexure "D":-

1. Furnish details of CO₂ emission & quantification from different sources as DG sets, vehicles movements etc. and their management plan w.r.t. carbon foot print shall be studied and discussed in EIA report.
2. In EIA study the mode of transportation, storage of fly ash, all raw materials and products should be discussed along with their impacts.
3. Transportation plan & traffic management plan should be discussed in the EIA report.
4. Inventory of all sensitive receptors in 2 Km & 5 Km around the mine.
5. Input data of modeling should be addressed in EIA along with this all back up calculation.
6. Onsite pictures of monitoring and survey along with date and time on photographs should be attached with the EIA report.

22. Case No 10465/2023 Shri Lal Chakradhar Singh, Partner, M/s Ramdas Verma and Company, R/o Ward No. 29, 408/29, Pandey Tala, Tehsil-Huzur, District-Rewa (MP)-486001, Prior Environment Clearance for Tikar 'B' Bauxite Mine in an area of 16.187 ha. (Bauxite-42450, Waste-12920 cum per year) (Khasra No. 1748, 1749), Village-Tikar, Tehsil-Huzur, District-Rewa (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 14/9/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री लाल चक्रधर सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्वाटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी	Shri Lal Chakradhar Singh, Partner, M/s RAMDAS VERMA AND CO, Ward No. 29, 408/29, Pandey Tola, Rewa Tehsil- Huzur, Dist- Rewa

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 सितम्बर 2023

का नाम व पता	(M.P.)
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1748, 1749 (सरकारी –फॉरेस्ट लैंड) 16.187 hectare.
स्थल	ग्राम Tikar तसहील Huzur जिला Rewa (म.प्र.)
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय-भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-03-10/2011/12/2, दिनांक 14/02/20 के द्वारा स्वीकृत ।
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-1
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बॉक्साइड-42,450 टीपीए एवं माइन वेस्ट-12,920 टीपीए हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार बॉक्साइड-42,450 टीपीए एवं माइन वेस्ट-12,920 टीपीए है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1900 दिनांक 12/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 32.381 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1900 दिनांक 12/06/23 में उल्लेखित वन मण्डलाधिकारी, रीवा के पत्र क्रमांक 1470 दिनांक 22/02/23 अनुसार बीट टीकर के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 23 के खसरा नं. 1748, 1749 का रकबा 40 एकड़ जिमसें साइड क्वालिटी IV एवं छत्र घनत्व 0.4-0.6 के सघन मिश्रित है, वन क्षेत्र में स्थित है । आवेदित क्षेत्र सघन मिश्रित युवा वन क्षेत्र से अच्छादित है, जिसमें प्रचुर मात्रा में औषधीय दुर्भव संकटापन्न प्रजातियाँ एवं शाकाहारी एवं मांसाहारी वन्यप्राणी इत्यादि मौजूद होने के कारण वन संपदा एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए वन मण्डल द्वारा अनुमति नहीं दी गई है, शेष 10 कि.मी. की परिधि में नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1900 दिनांक 12/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत टीकर जिला रीवा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-12 दिनांक 08/03/10 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2023

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	प्रस्तावित खदान मुख्य खनिज है, अतः जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट लागू नहीं है ।
----------------------------------	--

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. प्रश्नाधीन खदान में यदि कोई पेड हो तो उनकी ट्री इनवेन्टरी, अर्थात् उसकी प्रजाति, ऊंचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
2. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों की ड्रोन विडियोग्राफी (प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
3. ब्लास्टिंग का विवरण (यदि प्रस्तावित हो तो)
4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाइल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
5. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजिकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें।
6. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
7. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
8. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
9. फर्म के अन्य पार्टनर्स द्वारा परियोजना प्रस्ताव पर सहमति एवं श्री चक्रधर लाल सिंह को जारी सहमति पत्र के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे।
10. प्रस्तावित परियोजना में दर्शायी गयी भूमि के स्वामीत्व संबंधित समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे।
11. प्रस्तुत किये गये फर्म एण्ड सोसायटी रजिस्ट्रेशन, एग्रीमेन्ट डीड एवं अथॉरिटी लेटर आदि की ऑरिजनल प्रति सक्षम अधिकारी से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करेंगे।

23. Case No 10464/2023 Shri Lal Chakradhar Singh, Partner, M/s Ramdas Verma and Company, R/o Ward No. 29, 408/29, Pandey Tala, Tehsil-Huzur, District-Rewa (MP)-486001, Prior Environment Clearance for Tikar 'A' Bauxite Mine Deposit in an area of 16.187 ha. (Bauxite-55238, Waste-16812 cum per year) (Khasra No. 1746), Village-Tikar, Tehsil-Huzur, District-Rewa (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 14/9/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री लाल चक्रधर सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्वाटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 सितम्बर 2023

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri Lal Chakradhar Singh, Partner, M/s RAMDAS VERMA AND CO, Ward No. 29, 408/29, Pandey Tola, Rewa Tehsil- Huzur, Dist- Rewa (M.P.)
खसरा नं./ क्षेत्रफल	1746 (सरकारी –फॉरेस्ट लैंड) 16.187 hectare.
स्थल	ग्राम Tikar तसहील Huzur जिला Rewa (म.प्र.)
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय-भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-03-11/2011/12/2 दिनांक 14/02/20 के द्वारा स्वीकृत ।
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-1
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बाक्साइड-55,238 टीपीए एवं माइन वेस्ट-16,812 टीपीए हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार बाक्साइड-55,238 टीपीए एवं माइन वेस्ट-16,812 टीपीए है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1898 दिनांक 12/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 32.381 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1898 दिनांक 12/06/23 में उल्लेखित वन मण्डलाधिकारी, रीवा के पत्र क्रमांक 1469 दिनांक 22/02/23 अनुसार खनिज पट्टा स्थल वन खण्ड गोविंदगढ़ टीकर, बीट टीकर के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 23 के खसरा नं. 1746 का रकबा 16.187 हे. (40 एकड़) जिमसे साइड क्वालिटी IV एवं छत्र घनत्व 0.4-0.6 के सघन मिश्रित है, वन क्षेत्र में स्थित है । आवेदित क्षेत्र सघन मिश्रित युवा वन क्षेत्र से अच्छादित है, जिसमें प्रचुर मात्रा में औषधीय दुर्भवं संकटापन्न प्रजातियाँ एवं शाकाहारी एवं मांसाहारी वन्यप्राणी इत्यादि मौजूद होने के कारण वन संपदा एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए वन मण्डल द्वारा अनुमति नहीं दी गई है, शेष 10 कि.मी. की परिधि में नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1898 दिनांक 12/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2023

ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत टीकर जिला रीवा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-12 दिनांक 08/03/10 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
-------------------------------------	--

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. प्रश्नाधीन खदान में यदि कोई पेड हो तो उनकी ट्री इनवेन्टरी, अर्थात् उसकी प्रजाति, ऊँचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
2. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों की ड्रोन विडियोग्राफी (प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. ब्लास्टिंग का विवरण (यदि प्रस्तावित हो तो)
4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाइल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
6. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
7. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैंड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. फर्म के अन्य पार्टनर्स द्वारा परियोजना प्रस्ताव पर सहमति एवं श्री चक्रधर लाल सिंह को जारी सहमति पत्र के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे।
9. प्रस्तावित परियोजना में दर्शायी गयी भूमि के स्वामीत्व संबंधित समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे।
10. प्रस्तुत किये गये फर्म एण्ड सोसायटी रजिस्ट्रेशन, एग्रीमेन्ट डीड एवं अथॉरिटी लेटर आदि की ऑरिजनल प्रति सक्षम अधिकारी से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करेंगे।

24. Case No 10457/2023 Shri Pradeep Khare, Owner, M/s Golden Stones, R/o Jawahar Road, Nowgaon, District-Chhatarpur (MP)-471001, Prior Environment Clearance for Ghura Stone and M-Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (Stone-40000, M-Sand-35000 cum per year) (Khasra No. 357), Village-Ghura, Tehsil-Rajnagar, District-Chhatarpur (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 14/9/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री प्रदीप खरे एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 सितम्बर 2023

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	M/s GOLDEN STONES, Jawahar Road, Nowgaon, District Chhatarpur (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	357 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	4.00 hectare.
स्थल	Village Ghura Tehsil Rajnagar District Chhatarpur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 1614 दिनांक 09/04/21 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-1	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-40,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम-सेंड-35,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-40,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम-सेंड-35,000 घनमीटर/वर्ष है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया छतरपुर के पत्र क्रमांक 1424 दिनांक 24/09/16 के द्वारा पत्थर-75,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 756 दिनांक 12/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 06 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 30.750 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 756 दिनांक 12/04/23 अनुसार नेशनल पार्क (पन्ना टाईगर रिजर्व) की दूरी 6.5 कि.मी. एवं घोषित जैव विविधता क्षेत्र (वायोस्फियर रिजर्व) की दूरी 0.580 कि.मी. की दूरी पर है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 756 दिनांक 12/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत घूरा जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 26/02/11 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर पत्थर खनन का प्रस्ताव	

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 सितम्बर 2023

	पारित ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपलोड जिला सर्वेक्षण इस खदान का विवरण दर्ज नहीं है, चूँकि प्रकरण नया एवं बी-1 श्रेणी का है, अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. प्रश्नाधीन खदान में यदि कोई पेड हो तो उनकी ट्री इनवेन्टरी, अर्थात् उसकी प्रजाति, ऊँचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
2. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों की ड्रोन विडियोग्राफी (प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
5. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लान, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
7. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।

समिति की उपरोक्त अनुशंसा सिया की 805वीं बैठक दिनांक 06/09/23 की ए-नीतिगत निर्णय के अधीन रहेगी ।

- 25. Case No 10487/2023 Shri Ranjan Grover, R/o Civil Line, B D Agrawal Ward, Murwara, District-Katni (MP)-483501, Prior Environment Clearance for Majhgawan Laterite Deposit in an area of 2.340 ha. (88857 TPA) (Khasra No. 61P, 65), Village- Majhgawan, Tehsil- Badwara, District- Katni (M.P.)**

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2023

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 14/9/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री रंजन ग्रोवर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संजय सिंह मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्यूशन, नोएडा (उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri RANJAN GROVER, Civil Line, B D Agrawal Ward, Murwara, Katni (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	61(P) & 65 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.34 hectare.
स्थल	Village- Majhgawan, Tehsil- Badwara, District- Katni (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, प्रशासन एवं खनिकर्म, भौमिकी एवं खनिकर्म, म.प्र. के पत्र क्रमांक 12135-36 दिनांक 8/09/22 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-1	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा लेटेराइट-88,857 टीपीए हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार लेटेराइट-88,857 टीपीए है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1008 दिनांक 24/05/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 12.49 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1008 दिनांक 24/05/23 अनुसार उत्खनिपट्टा क्षेत्र नजदीकी आरक्षित वन कक्ष क्रमांक आर.एफ. 110 से पूर्व दिशा में लगभग 08 मीटर की दूरी पर स्थित है । उक्त क्षेत्र वन सीमा से 250 मीटर के परिधि के अंदर स्थित होने के कारण संभागीय आयुक्त की समिति द्वारा लिये गये निर्णय दिनांक 06/01/22 का कार्यवाही विवरण अनुसार अनापत्ति प्रदान की गई है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1008 दिनांक 24/05/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत मझगवां जिला सतना के ठहराव प्रस्ताव दिनांक	

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2023

पंचायत की अनापत्ति	02/10/21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-68 के सरल क्रमांक-35 पर दर्ज है ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. प्रश्नाधीन खदान क्षेत्र में पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊँचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1008 दिनांक 24/05/23 अनुसार उत्खनिपट्टा क्षेत्र नजदीकी आरक्षित वन कक्ष क्रमांक आर.एफ. 110 से पूर्व दिशा में लगभग 08 मीटर की दूरी पर स्थित है । उक्त क्षेत्र वन सीमा से 250 मीटर के परिधि के अंदर स्थित होने के कारण संभागीय आयुक्त की समिति द्वारा लिये गये निर्णय दिनांक 06/01/22 का कार्यवाही विवरण में अंकित शर्तों का पालन प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
- 3- Forest and Wildlife and eco-sensitive zones, if any in the study area of 10 Km Clearances required under the Forest (Conservation) Act, 1980, the Wildlife (Protection) Act, 1972 and/or the Environment (Protection) Act, 1986.
- 4- Study of sensitive eco systems and water bodies within 10 km radius of proposed site
5. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों की ड्रोन विडियोग्राफी (प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाइल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजिकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
8. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
10. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैंड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 सितम्बर 2023

26. Case No 10458/2023 Smt. Anju Baghel, Owner, R/o 244, Sanjeevani Nagar, Garha, District-Jabalpur (MP)-482003, Prior Environment Clearance for Khurshi Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (55651 cum per year) (Khasra No. 26P), Village-Khurshi, Tehsil-Jabalpur, District-Jabalpur (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 14/9/23 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती अंजु बघेल, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री सतवंत सिंह, मेसर्स एम्बिएंटल ग्लोबल प्रा.लि., गाजियाबाद (उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	ANJU BAGHEL, Owner, R/O-244, Sanjeevani Nagar, Garha, District-Jabalpur (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	26 Part (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.00 hectare.
स्थल	Village- Khurshi, Tehsil- Jabalpur, Dist- Jabalpur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, प्रशासन एवं खनिकर्म, भौमिकी एवं खनिकर्म, म.प्र. के पत्र क्रमांक 14328 दिनांक 18/10/22 के द्वारा स्वीकृत।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-1	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना के पेज नं.-22 अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेटल पत्थर-55,651 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-55,651 घनमीटर/वर्ष है।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया जबलपुर के पत्र क्रमांक 144 दिनांक 08/11/17 के द्वारा पत्थर-1,20,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 479 दिनांक 06/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 05 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 12.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 479 दिनांक 06/07/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 479 दिनांक 06/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव	

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2023

	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत तिखारी जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-3 दिनांक 12/04/10 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर ने पत्र क्रमांक 520 दिनांक 12/07/23 द्वारा सूचित किया है कि उक्त प्रकरण में संपूर्ण प्रक्रिया का पालन हो जाने के उपरांत नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उक्त खदान से संबंधित जानकारी सम्मिलित कर ली जावेगी । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. प्रश्नाधीन खदान में यदि कोई पेड हो तो उनकी ट्री इनवेन्टरी, अर्थात् उसकी प्रजाति, ऊँचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
2. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों की ड्रोन विडियोग्राफी (प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाइल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
5. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. चूँकि आवंटित स्थल पहाड़ पर स्थित है, अतः खनिज परिवहन मार्ग तथा सरफेस रनऑफ मैनेजमेंट प्लान ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें ।

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2023

7. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लान, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
8. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैंड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

समिति की उपरोक्त अनुशंसा सिया की 805वीं बैठक दिनांक 06/09/23 की ए—नीतिगत निर्णय के अधीन रहेगी ।

27. Case No 10459/2023 Shri Gulab Baghel, Owner, R/o 244, Sanjeevani Nagar, Garha, District-Jabalpur (MP)-482003, Prior Environment Clearance for Khurshi Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (18062 cum per year) (Khasra No. 26P), Village-Manegaon, Tehsil-Jabalpur, District-Jabalpur (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 14/9/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री गुलाब बघेल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार मेसर्स ग्लोबल..... उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri GULAB BAGHEL, Owner, R/O-244, Sanjeevani Nagar, Garha, District-Jabalpur (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	26 Part (सरकारी —नॉन फॉरेस्ट लैंड)	1.0 Hectare
स्थल	Village- Khurshi, Tehsil- Jabalpur, Dist- Jabalpur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, प्रशासन एवं खनिकर्म, भौमिकी एवं खनिकर्म, म.प्र. के पत्र क्रमांक 14326 दिनांक 18/10/22 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-1	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया जबलपुर के पत्र क्रमांक 141 दिनांक 08/11/17 के द्वारा पत्थर—40,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा एवरेज पत्थर—18,062 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार एवरेज पत्थर—18,062 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 478 दिनांक 06/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 05 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 12.00 हे. होता है,	

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2023

	अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 478 दिनांक 06/07/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 478 दिनांक 06/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत तिखारी जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 27/06/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर ने पत्र क्रमांक 519 दिनांक 12/07/23 द्वारा सूचित किया है कि उक्त प्रकरण में संपूर्ण प्रक्रिया का पालन हो जाने के उपरांत नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उक्त खदान से संबंधित जानकारी सम्मिलित कर ली जावेगी। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. प्रश्नाधीन खदान में यदि कोई पेड हो तो उनकी ट्री इनवेन्टरी, अर्थात् उसकी प्रजाति, ऊंचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
2. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों की ड्रोन विडियोग्राफी (प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
3. ब्लास्टिंग का विवरण (यदि प्रस्तावित हो तो)
4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2023

स्वाइल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

5. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
6. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लान, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
8. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रैजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।

समिति की उपरोक्त अनुशंसा सिया की 805वीं बैठक दिनांक 06/09/23 की ए-नीतिगत निर्णय के अधीन रहेगी ।

28. Case No 10201/2023 Shri Arun Sharma, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Putti Sand Quarry in an area of 4.98 ha. (89,010 cum per year) (Khasra No. 552), Village-Putti, Tehsil-Pichhore, District- Gwalior (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 23/08/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Arun Sharma, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, क्रियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एवं साथ में श्री प्रशांत गोरेया, सर्वेयर, ग्वालियर समिति के समक्ष भी उपस्थित थे ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Arun Sharma, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Putti Sand Quarry in an area of 4.98 ha. (89,010 cum per year) (Khasra No. 552), Village-Putti, Tehsil-Pichhore, District- Gwalior (MP) [429866]		
परियोजना का खसरा नं. / लीज क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	552, ग्राम – पुट्टी, तहसील – पिछोर, जिला – ग्वालियर (म.प्र.),	4.98 हेक्टेयर	शासकीय
परियोजना की	बी-2 श्रेणी,		

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 सितम्बर 2023

श्रेणी(बी-1/बी-2)	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम / गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान सिंध नदी में स्थित है एवं खदान में से नदी की एक पतली जल धारा निकल रही है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 89,010 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत– 89,010 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।
सैद्धान्तिक सहमति / LOI details.	पत्र क्र०. 795 दिनांक 04/05/2023.
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 811दिनांक 08/05/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 4.98 हे० होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 811दिनांक 08/05/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 811दिनांक 08/05/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण पक्का रास्ता/नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत पुटटी, जिला – ग्वालियर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 16 दिनांक 16/01/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 27 के सरल क्रमांक – 07 पर दर्ज है। जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल-89,010 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 89,010 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्पूर्ण नदी को खनन कार्य हेतु दर्शाया गया है जब कि सेन्ड माईनिंग गाईडलाईन्स के अनुसार नदी का बहाव प्रभावित न हो, इस हेतु नदी तट का एक साईड छोड़ना प्रस्तावित है। अतः प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:-

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2023

- खदान का कुछ भाग पानी डूबा होने की वजह से सेटबेक छोड़ने के कारण पुनरीक्षित सरफेस मैप प्रस्तुत करें ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर दिनांक 12/09/23 को अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज बैठक दिनांक 14/09/23 को प्रस्तुतीकरण में रखा गया, परियोजना प्रस्तावक Shri Arun Sharma, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, ऑनलाईन, क्रियेटिव इंवार्स सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। समिति ने पाया कि खदान का कुछ भाग पानी डूबा होने की वजह से सेटबेक छोड़ने के कारण पुनरीक्षित सरफेस मैप प्रस्तुत कर दिया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत –89,010 मी³ प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 10.81 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 01.59 लाख प्रति वर्ष।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.47 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—(भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
सी.ई.आर मद से 3,00,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम पुट्टी के भासकीय प्राथमिक भाला के खाते में अधोसंरचना विकास हेतु जमा की जावेगी।	3,00,000
एवं 2,00,000 आंगनवाड़ी कि अधोसंरचना विकास हेतु महिला बाल विकास समिति के खाते में जमा की जावेगी	2,00,000
एवं 1,68,000 भासकीय प्राथमिक भाला के रोगी कल्याण समिति के खाते में जमा की जावेगी	1,68,000

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2023

1. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 6000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास	500
		4-5 पंक्ति - कटंग बांस	300
		6 पंक्ति - करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	200
2	ग्राम- पुट्टी के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	4250
3	परिवहन मार्ग (300 मीटर)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ, (ट्री गार्ड के साथ)	750
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी । • रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा ।			
योग			6000

29. Case No 10161/2023 Shri Arun Sharma, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Dhamna Sand Quarry in an area of 4.90 ha. (14,040 cum per year) (Khasra No. - 935), Village-Dhamna, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP)

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2023

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 23/08/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Arun Sharma, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, क्रियेटिव इंवरो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एवं साथ में श्री प्रशांत गोरेया, सर्वेयर, प्रभारी दतिया समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Ashish Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011. Prior Environment Clearance for Dhamna Sand Quarry in an area of 4.90 ha. (14,040 cum per year) (Khasra No. - 935), Village-Dhamna, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP) [430657]		
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	935, ग्राम — धमना, तहसील — भाण्डेर, जिला — दतिया, (म.प्र.),	4.90 हेक्टेयर	शासकीय
परियोजना की श्रेणी(बी-1/बी-2)	बी-2 श्रेणी,		
रेत प्रकरणों में नदी का नाम / गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान पहुंज नदी में स्थित है, एवं खदान में से नदी की एक पतली जल धारा निकल रही है तथा पूर्व दिशा में 47 मीटर पर रपटा है।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत — 14,040 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत— 14,040 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।		
सैद्धांतिक सहमति / LOI details.	पत्र क्र०. रेत/2023-24/नस्ति क्र०. 315/198 दिनांक 07/06/2023.		
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 12 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 4.90 हे० होता है, अतः प्रकरण बी. — 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।		
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 12 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।		
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 12 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के		

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2023

	स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण पक्का रास्ता/नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत प्यावल, जिला – दतिया के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 03 दिनांक 18/01/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 14 के सरल क्रमांक – 21 पर दर्ज है। जिसमें माईनेवल मिनरल पोर्टेशियल-14,040 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 14,040 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्पूर्ण नदी को खनन कार्य हेतु दर्शाया गया है जब कि सेन्ड माईनिंग गाईडलाईन्स के अनुसार नदी का बहाव प्रभावित न हो, इस हेतु नदी तट का एक साईड छोड़ना प्रस्तावित है। अतः प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:-

- समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर दिनांक 11/09/23 को अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज बैठक दिनांक 14/09/23 को प्रस्तुतीकरण में रखा गया, परियोजना प्रस्तावक Shri Arun Sharma, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, क्रियेटिव इंवार्गे सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। समिति ने पाया कि खदान का कुछ भाग पानी डूबा होने की वजह से सेटबैक छोड़ने के कारण पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत कर दिया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता **रेत** –14,040 मी³ प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2023

4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 10.92 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 01.08 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
सी.ई.आर मद से 1,10,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम धमना के भासकीय प्राथमिक भाला के खाते में अधोसंरचना विकास हेतु जमा की जावेगी।	1,10,000

2. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 5880 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास	200
		4-5 पंक्ति - कटंग बांस	150
		6 पंक्ति - करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	140
2	ग्राम- धमना के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	4410
3	परिवहन मार्ग (300 मीटर)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ, (ट्री गार्ड के साथ)	980
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र			

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2023

में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ति की जा सकेगी। • रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।	
योग	5880

30. Case No 10154/2023 Shri Ashish Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Sarsai Sand Quarry in an area of 4.47 ha. (40,095 cum per year) (Khasra No. - 3603, 3634, 3635), Village-Sarsai, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 23/08/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Arun Sharma, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, क्रियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एवं साथ में श्री प्रशांत गोरेया, सर्वेयर, प्रभारी दतिया समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Ashish Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, <i>Prior Environment Clearance for Sarsai Sand Quarry in an area of 4.47 ha. (40,095 cum per year) (Khasra No. - 3603, 3634, 3635), Village-Sarsai, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP) [430720]</i> .		
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	3603, 3634, 3635, ग्राम – सरसई, तहसील – भाण्डेर, जिला – दतिया (म.प्र.),	4.47 हेक्टेयर	शासकीय
परियोजना की श्रेणी(बी-1/बी-2)	बी-2 श्रेणी,		
रेत प्रकरणों में नदी का नाम / गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान पहुंज नदी में स्थित है, एवं खदान में से नदी की एक पतली जल धारा निकल रही है ।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 40,095 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत– 40,095 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।		

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2023

सैद्धान्तिक सहमति / LOI details.	पत्र क्र०. रेत/2023-24/नस्ति क्र०. 315/198 दिनांक 07/06/2023.
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 33 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 4.47 हे०. होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 33 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 33 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण पक्का रास्ता/नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत सरसई, जिला – दतिया के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 40 दिनांक 20/02/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 14 के सरल क्रमांक – 02 पर दर्ज है। जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल-40,095 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 40,095 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्पूर्ण नदी को खनन कार्य हेतु दर्शाया गया है जब कि सेन्ड माईनिंग गाईडलाईन्स के अनुसार नदी का बहाव प्रभावित न हो, इस हेतु नदी तट का एक साईड छोड़ना प्रस्तावित है। अतः प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:-

- समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर दिनांक 11/09/23 को अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज बैठक दिनांक 14/09/23 को प्रस्तुतीकरण में रखा गया, परियोजना प्रस्तावक Shri Arun Sharma, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2023

Limited एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, क्रियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। समिति ने पाया कि खदान का कुछ भाग पानी डूबा होने की वजह से सेटबेक छोड़ने के कारण पुनरीक्षित सरफेस मैप प्रस्तुत कर दिया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -40,095 मी³ प्रति वर्ष।

- नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 10.24 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 01.18 लाख प्रति वर्ष।
- सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 03.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
सी.ई.आर मद से 2,00,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम सरसई के भासकीय प्राथमिक भाला के खाते में अधोसंरचना विकास हेतु जमा की जावेगी।	2,00,000
एवं 1,00,000 आंगनवाड़ी कि अधोसंरचना विकास हेतु महिला बाल विकास समिती के खाते में जमा की जावेगी	1,00,000

- निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 5400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास	155

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 सितम्बर 2023

	6 पंक्तियों में)	4-5 पंक्ति – कटंग बांस	150
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	145
2	ग्राम— सरसई के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	4050
3	परिवहन मार्ग (800 मीटर)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	900
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। • रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा ।			
योग			5400

31. Case No 10157/2023 Shri Ashish Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Salon-A Sand Quarry in an area of 4.90 ha. (57,600 cum per year) (Khasra No. 01), Village - Salon, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 23/08/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Arun Sharma, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, क्रियेटिव इंवारे सर्वोसेस, भोपाल (म.प्र.) और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एवं साथ में श्री प्रशांत गोरेया, सर्वेयर, प्रभारी दतिया समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
----------------	---

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 सितम्बर 2023

परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Ashish Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011. Prior Environment Clearance for Salon-A Sand Quarry in an area of 4.90 ha. (57,600 cum per year) (Khasra No. 01), Village - Salon, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP) [430775]		
परियोजना का खसरा नं. / लीज क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	01, ग्राम – सालोन-ए तहसील – भाण्डेर, जिला – दतिया (म.प्र.),	4.90 हेक्टेयर	शासकीय
परियोजना की श्रेणी(बी-1 / बी-2)	बी-2 श्रेणी,		
रेत प्रकरणों में नदी का नाम / गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान पहुंज नदी में स्थित है, एवं खदान में से नदी की एक पतली जल धारा निकल रही है ।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 57,600 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत– 57,600 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।		
सैद्धांतिक सहमति / LOI details.	पत्र क्र०. रेत/2023-24/नस्ति क्र०. 315/198 दिनांक 07/06/2023.		
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित / स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 04 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 4.90 हे० होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।		
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 04 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।		
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 04 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण पक्का रास्ता/नाला इत्यादि स्थित नहीं है।		
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत सालोन “ए”, जिला – दतिया के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 03 दिनांक 01/11/2019 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से		

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2023

	ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.— 14 के सरल क्रमांक — 01 पर दर्ज है। जिसमें माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल—57,600 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 57,600 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्पूर्ण नदी को खनन कार्य हेतु दर्शाया गया है जब कि सेन्ड माईनिंग गाईडलाईन्स के अनुसार नदी का बहाव प्रभावित न हो, इस हेतु नदी तट का एक साईड छोड़ना प्रस्तावित है। अतः प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:—

- समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर दिनांक 11/09/23 को अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज बैठक दिनांक 14/09/23 को प्रस्तुतीकरण में रखा गया, परियोजना प्रस्तावक Shri Arun Sharma, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, क्रियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। समिति ने पाया कि खदान का कुछ भाग पानी डूबा होने की वजह से सेटबैक छोड़ने के कारण पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत कर दिया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता **रेत** —57,600 मी³ प्रति वर्ष।

1. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 11.15 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.22 लाख प्रति वर्ष।

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2023

5. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 04.32 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
सी.ई.आर. मद से 2,35,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम सालोन-ए के भासकीय प्राथमिक भाला के खाते में अधोसंरचना विकास हेतु जमा की जावेगी।	2,35,000
एवं 1,97,000 आंगनवाड़ी कि अधोसंरचना विकास हेतु महिला बाल विकास समिती के खाते में जमा की जावेगी	1,97,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 5400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास	200
		4-5 पंक्ति - कटंग बांस	150
		6 पंक्ति - करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	140
2	ग्राम- सालोन-ए के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	4410
3	परिवहन मार्ग (300 मीटर)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां (ट्री गार्ड के साथ)	980
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बांस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। • रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।			
योग			5400

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 सितम्बर 2023

32. Case No 10155/2023 Shri Ashish Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Khiriya Jhansi Sand Quarry in an area of 4.90 ha. (58,800 cum per year) (Khasra No. - 01), Village-Khiria Jhasi, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 23/08/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Ashish Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, क्रियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एवं साथ में श्री प्रशांत गोरेया, सर्वेयर, प्रभारी दतिया, जिला – दतिया समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Ashish Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Khiriya Jhansi Sand Quarry in an area of 4.90 ha. (58,800 cum per year) (Khasra No. - 01), Village-Khiria Jhasi, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP) [430779]		
परियोजना का खसरा नं. / लीज क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	01, ग्राम – खिरियाझांसी, तहसील – भाण्डेर, जिला – दतिया (म.प्र.),	4.90 हेक्टेयर	शासकीय
परियोजना की श्रेणी(बी-1 / बी-2)	बी-2 श्रेणी,		
रेत प्रकरणों में नदी का नाम / गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान पहुंज नदी में स्थित है एवं खदान में से नदी की एक पतली जल धारा निकल रही है।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 58,800 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत– 58,800 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।		
सैद्धान्तिक सहमति / LOI details.	पत्र क्र०. रेत/2023-24/नस्ति क्र०. 315/198 दिनांक 07/06/2023.		
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित / स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 11 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 4.90 हे०. होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।		
परियोजना के संबंध में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र		

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2023

डीएफओ की एनओसी	क्रमांक 11 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 11 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण पक्का रास्ता/नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत सालौन "ए", जिला – दतिया के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 06 दिनांक 20/10/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 14 के सरल क्रमांक – 20 पर दर्ज है। जिसमें माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल-58,800 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 58,800 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्पूर्ण नदी को खनन कार्य हेतु दर्शाया गया है जब कि सेन्ड माईनिंग गाईडलाईन्स के अनुसार नदी का बहाव प्रभावित न हो, इस हेतु नदी तट का एक साईड छोड़ना प्रस्तावित है। अतः प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:-

- समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत करें ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर दिनांक 11/09/23 को अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज बैठक दिनांक 14/09/23 को प्रस्तुतीकरण में रखा गया, परियोजना प्रस्तावक Shri Arun Sharma, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, क्रियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। समिति ने पाया कि खदान का कुछ भाग पानी डूबा होने की वजह से सेटबैक छोड़ने के कारण पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत कर दिया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2023

अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत –58,800 मी³ प्रति वर्ष ।

1. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 13.35 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.67 लाख प्रति वर्ष ।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 04.41 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
सी.ई.आर मद से 2,35,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम खिरियाझासी के शासकीय प्राथमिक भाला के खाते में अधोसंरचना विकास हेतु जमा की जावेगी।	2,35,000
एवं 2,06,000 आंगनवाड़ी कि अधोसंरचना विकास हेतु महिला बाल विकास समिती के खाते में जमा की जावेगी	2,06,000

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 6000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास	200
		4-5 पंक्ति - कटंग बांस	150
		6 पंक्ति - करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	150
2	ग्राम- खिरियाँझासी के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	4500
3	परिवहन मार्ग	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	1000

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 सितम्बर 2023

	(800 मीटर)	(ट्री गार्ड के साथ)	
✓	वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा ।		
✓	प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।		
✓	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे ।		
✓	टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा ।		
•	परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी ।		
•	रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा ।		
योग			6000

33. Case No 10162/2023 Shri Ashish Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Marsenikhurd Sand Quarry in an area of 4.80 ha. (37,800 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Marseni Buzurg, Tehsil-Seondha, District-Datia (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 23/08/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Arun Sharma, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, क्रियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एवं साथ में श्री प्रशांत गोरेया, सर्वेयर, प्रभारी दतिया समिति के समक्ष भी उपस्थित थे ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Ashish Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011. Prior Environment Clearance for Marsenikhurd Sand Quarry in an area of 4.80 ha. (37,800 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Marseni Buzurg, Tehsil-Seondha, District-Datia (MP) [430907]		
परियोजना का खसरा नं. / लीज क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	01, ग्राम – मरसैनीखुर्द, तहसील – भाण्डेर, जिला –	4.80 हेक्टेयर	शासकीय

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 सितम्बर 2023

	दतिया, (म.प्र.),		
परियोजना की श्रेणी(बी-1/बी-2)	बी-2 श्रेणी,		
रेत प्रकरणों में नदी का नाम / गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान सिंध नदी में मियन्डर पर स्थित है।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 37,800 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत– 37,800 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।		
सैद्धान्तिक सहमति / LOI details.	पत्र क्र०. रेत/2023-24/नस्ति क्र०. 315/198 दिनांक 07/06/2023.		
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 27 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 4.80 हे०. होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।		
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 27 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।		
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 27 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण पक्का रास्ता/नाला इत्यादि स्थित नहीं है।		
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत मरसैनीखुर्द, जिला – दतिया के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 02 दिनांक 26/01/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।		
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 14 के सरल क्रमांक – 08 पर दर्ज है। जिसमें माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल-37,800 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 37,800 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।		

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2023

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्पूर्ण नदी को खनन कार्य हेतु दर्शाया गया है जब कि सेन्ड माईनिंग गाईडलाईन्स के अनुसार नदी का बहाव प्रभावित न हो, इस हेतु नदी तट का एक साईड छोड़ना प्रस्तावित है। अतः प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:-

- समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत करें ।
- पुनरीक्षित सीईआर योजना

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर दिनांक 11/09/23 को अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज बैठक दिनांक 14/09/23 को प्रस्तुतीकरण में रखा गया, परियोजना प्रस्तावक Shri Arun Sharma, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, क्रियेटिव इंवारे सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। समिति ने पाया कि खदान का कुछ भाग पानी डूबा होने की वजह से सेटबैक छोड़ने के कारण पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत कर दिया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -37,800 मी³ प्रति वर्ष।

1. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 10.26 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 01.16 लाख प्रति वर्ष ।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 04.41 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
-----------------------------------	----------------

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2023

सी.ई.आर मद से 2,00,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम मर्सेनीखुर्द के भासकीय प्राथमिक शाला के खाते में अधोसंरचना विकास हेतु जमा की जावेगी।	2,00,000
एवं 84,000 आंगनवाड़ी कि अधोसंरचना विकास हेतु महिला बाल विकास समिती के खाते में जमा की जावेगी	84,000

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 5800 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति— खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास	200
		4-5 पंक्ति — कटंग बांस	150
		6 पंक्ति — करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	140
2	ग्राम— मर्सेनीखुर्द के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	4410
3	परिवहन मार्ग (300 मीटर)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	980
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख — रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। • रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा ।			
योग			5880

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 सितम्बर 2023

अध्यक्ष महोदय, की अनुमति से चर्चा के अन्य बिन्दु ?

- पूर्व में रेत खदानों के जिन प्रकरणों समिति द्वारा पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की गई है, उसमें वर्णित शर्तों के परिपालन के संबंध में संबंधित जिले के खनिज अधिकारी, पुष्टि कराकर सिया को अवगत करावें तथा वर्तमान में जिन प्रकरणों में पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की जा रही है, उसमें वृक्षारोपण सी.ई.आर एवं अन्य शर्तों का परिपालन माईनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा। पर्यावरण स्वीकृति शर्तों का परिपालन में देखना होगा।
- As per **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020** , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) “from the river.....bank” shall be restricted should be followed in verbatim as the para says.

ऐसे प्रकरण जिसमें लीज ट्रांसफर हुई है।

समिति ने प्रकरण के परीक्षण में पाया पूर्व में डिया के अंतर्गत स्वीकृत प्रकरणों में अर्थात डिया से प्रदाय की गई ई.सी के शर्तों के बारे में स्पष्टता नहीं है कि जिन्हे नई खदान स्वीकृत हुई है, उन्हे ई.सी की शर्तों का पालन करना है या नहीं ? किसको करना है यह स्पष्ट नहीं है। और न ही खदान की भू-स्वामी की सहमति स्पष्ट है
इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि डिया के प्रकरणों में फार्म-1 में Re-appraisal से बचने के लिये ऐसे नई खदान के रूप में कई प्रकरण सामने आ सकते है अतः सिया स्तर पर नीतिगत निर्णय लिया जाना उचित होगा।


(चंद्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव


(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2023

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murram and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2023

19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Manual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2023

34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 14 सितम्बर 2023

16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - j. Minable Potential of sand mine.
 - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - l. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 14 सितम्बर 2023

- vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
 34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- ‘C’

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2023

9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - p. Minable Potential of sand mine.
 - q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - r. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2023

- concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
 30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
 33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
 34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
 35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
 36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
 37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutants in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
 38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
 39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
 40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
 41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
 42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
 43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 14 सितम्बर 2023

44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 14 सितम्बर 2023

21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carried out in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and discussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three years and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2023

36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
- ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using “Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
 - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु मल्लिंग जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4 :-** परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ों के चारों ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिंग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चैनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए ।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03-05 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05-10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में)		

679वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2023

	तीन वर्षों तक ।	
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद	

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियों आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना ।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट – 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधों की ऊँचाई न्यूनतम 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियाँ ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घास प्रजातियाँ, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीट
3	चौथी से पाँचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों, लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई चतुर्दम उतममकपदह बमदजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।